अध्याय - VI

सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यकलाप

6.1 सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम का विहंगावलोकन

6.1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन, 31 मार्च 2006 को पाँच सरकारी कंपनियाँ, एक सांविधिक निगम तथा एक स्वायत्त निकाय के विरूद्ध 31 मार्च 2007 को सात सरकारी कंपनियाँ, एक सांविधिक निगम तथा एक स्वायत्त निकाय (सभी कर्यरत) थे। दो कंपनियों (झारखण्ड औद्यौगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड और वृहत रॉची विकास अभिकरण लिमिटेड) की लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान शुरू की गयी थी। सरकारी कंपनियाँ (यथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखे की पूरक लेखापरीक्षा भी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के प्रावधानों के अनुसार, सी.ए.जी. द्वारा संचालित की जाती है। विद्युत आपूर्ति (वार्षिक लेखे) नियम,1985 के नियम 14 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 (क) और 185 (2) (घ) के अंतर्गत झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद तथा धारा 104 (2) के अंतर्गत झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग का सी.ए.जी. एकमात्र लेखा परीक्षक है।

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यू.)

6.1.2 कार्यरत पी.एस.यू. में निवेश

आठ लोक उपक्रमों (सात सरकारी कंपनियाँ एवं एक सांविधिक निगम) में कुल निवेश क्रमशः मार्च 2006 एवं मार्च 2007 के अन्त में निम्नलिखित था:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	पी.एस.यू. की संख्या	पी.एस.यू. में निवेश			
		इक्विटी	अंशआवेदन राशि	ऋण	कुल
2005-06	6	7.55	0.25	2,466.07	2,473.87
2006-07	8	10.80	2.50	2,537.65	2,550.95

6.1.2.1 कार्यरत सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम में प्रक्षेत्रवार निवेश

लोक उपक्रमों में मार्च 2006 और मार्च 2007 के अंत में प्रक्षेत्रवार निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) एवं उसकी प्रतिशतता निम्नलिखित वृत्त चार्ट में दर्शायी गयी है:

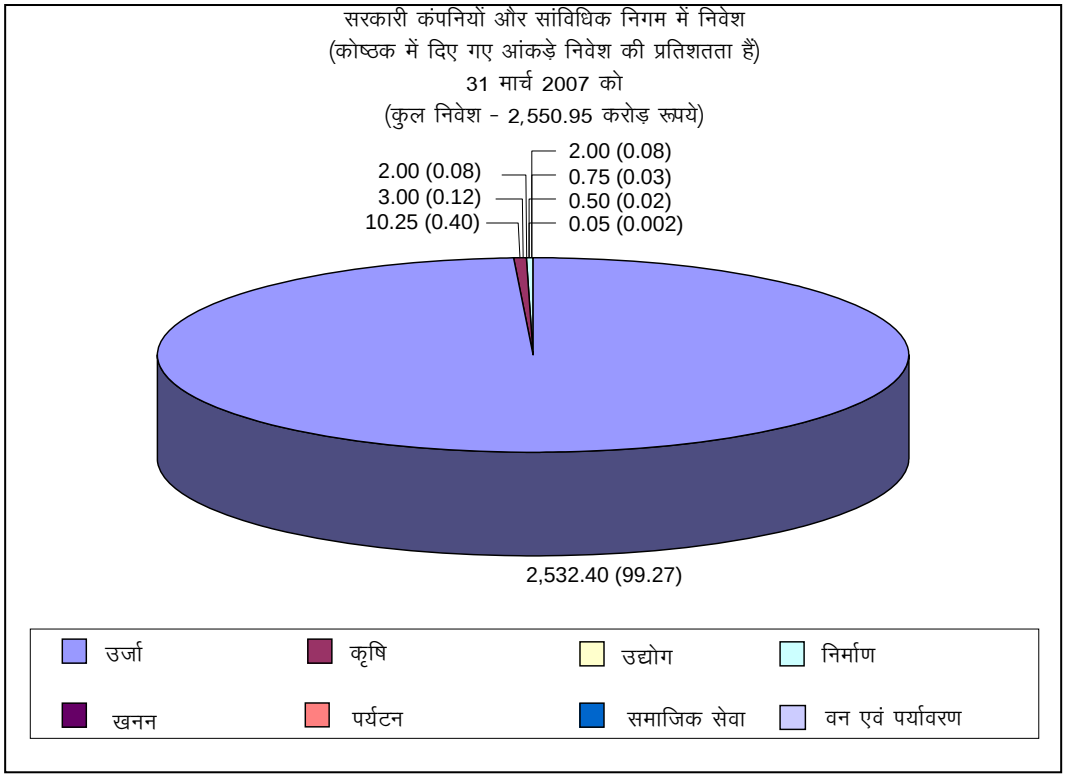

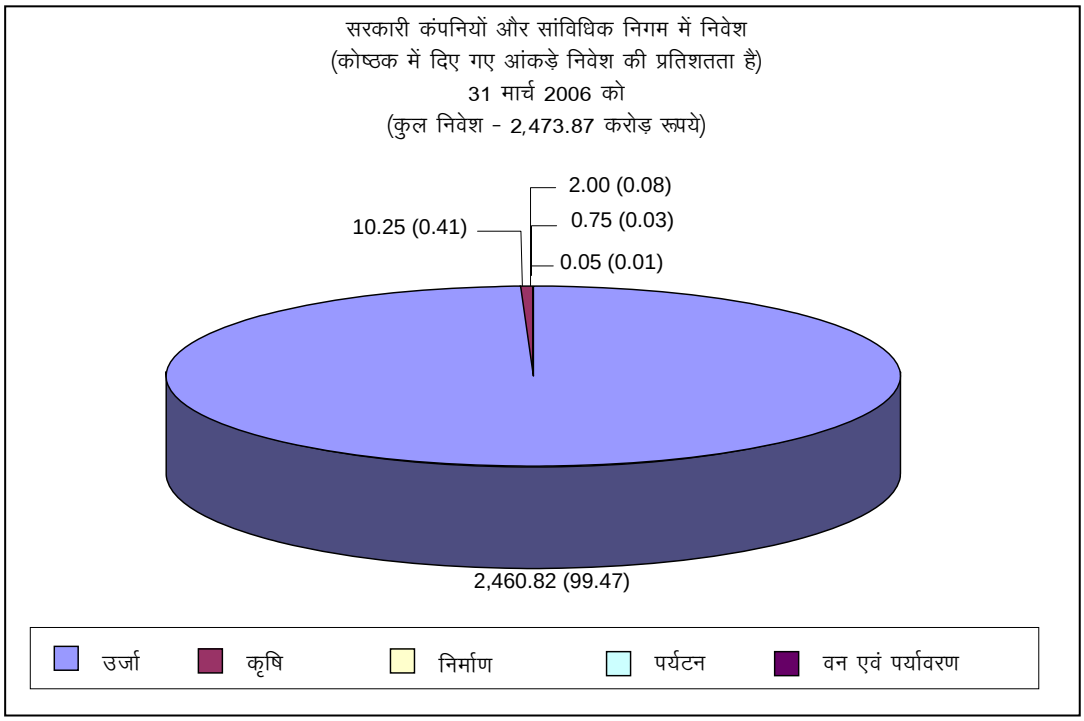

6.1.3 कार्यरत सरकारी कंपनियाँ

मार्च 2006 एवं मार्च 2007 के अंत में सात कार्यरत सरकारी कंपनियों में कुल निवेश निम्नलिखित था:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	सरकारी कंपनियों की संख्या	कार्यरत कंपनी में निवेश			
		इक्विटी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2005-06	5	7.55	0.25	5.25	13.05
2006-07	7	10.80	2.50	5.25	18.55

इन सरकारी कंपनियों में इक्विटी एवं ऋण के रूप में सरकारी निवेश की सारांशीकृत स्थिति के ब्यौरे ***परिशिष्ट-6.1*** में दिये गये हैं।

इकतीस मार्च 2006 एवं 31 मार्च 2007 को इन सरकारी कम्पनियों में, कुल निवेश का क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 72 प्रतिशत इक्विटी पूँजी तथा 40 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत ऋण था।

6.1.4 कार्यरत सांविधिक निगम

झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद में मार्च 2006 एवं मार्च 2007 के अन्त में कुल निवेश, बिहार राज्य विद्युत परिषद और झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद के मध्य परिसम्पत्तियों और दायित्वों के संविभाजन नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं था। तथापि, 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण क्रमशः 321.26 करोड़ रूपये और 52.00 करोड़ रूपये था। 31 मार्च 2006 को 2,460.82 करोड़ रूपये (राज्य सरकार-1,058.61 करोड़ रूपये, केन्द्र सरकार -1,336.67 करोड़ रूपये, अन्य-65.54 करोड़ रूपये) के विरूद्ध 31 मार्च 2007 को 2,532.40 करोड़ रूपये (राज्य सरकार -1,110.61 करोड़ रूपये, केन्द्र सरकार- 1,356.25 करोड़ रूपये, अन्य-65.54 करोड़ रूपये) का ऋण बकाया था।

6.1.5 बजट के जावक, अनुदान/सहाय्य, प्रतिभूतियाँ, देयताओं का अधित्याग एवं ऋणों का इक्विटी में रूपान्तरण

कार्यरत सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगम तथा स्वायत्त निकाय के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बजट के जावक, अनुदान/सहाय्य, निर्गत प्रतिभूतियों, देयताओं का अधित्याग और ऋणों को इक्विटी में रूपान्तरण के ब्यौरे ***परिशिष्ट- 6.1*** और ***6.3*** में दिये गये हैं।

वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के लिये राज्य सरकार की ओर से कार्यरत सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगम और स्वायत्त निकाय के इक्विटी पूँजी और ऋणों एवं अनुदान/सहाय्य बजट के जावक के रूप में नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रूपये में)

	2005-06						2006-07					
	कंपनियाँ		निगम		स्वायत्त निकाय		कंपनियाँ		निगम		स्वायत्त निकाय	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से इक्विटी पूँजी जावक	3	3.25[1]	-	शून्य	-	शून्य	2	2.50	-	शून्य	-	शून्य
बजट से दिये गये ऋण	-	शून्य	1	321.26	-	शून्य	-	शून्य	1	52.00	-	शून्य
अन्य	-	शून्य	-	शून्य	1	1.10	-	शून्य	-	शून्य	1	1.20

[1] पुनरीक्षित आँकड़े सम्मिलित

अनुदान/सहाय्य												
कुल जावक	**3**	**3.25**	**1**	**321.26**	**1**	**1.10**	**2**	**2.50**	**1**	**52.00**	**1**	**1.20**

2006-07 के दौरान सरकार ने कोई भी प्रतिभूति नहीं दी।

6.1.6 कार्यरत पी.एस.यू. द्वारा लेखे का समापन

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, एवं 619 के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखा का समापन, उस वित्तीय वर्ष के अन्त से छः महीने के भीतर होना है। उन्हें विधान मण्डल में सम्बद्ध वित्तीय वर्ष के अन्त से नौ महीने के भीतर प्रस्तुत भी करना है। सांविधिक निगम के मामले में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 185 (2) (घ) के प्रावधानों के अनुसार लेखा को समापित, लेखापरीक्षित और विधान मण्डल में प्रस्तुत होना है।

जैसा कि ***परिशिष्ट-6.2*** से परिलक्षित होता है, सात सरकारी कंपनियों, एक सांविधिक निगम एवं एक स्वायत्त निकाय में से केवल एक कंपनी ने वर्ष 2005-06 तक का लेखा समापन किया, दो कंपनियों ने वर्ष 2004-05 तक का लेखा समापन किया, दो कंपनीयों ने वर्ष 2002-03, और एक सांविधिक निगम ने वर्ष 2001-02 का लेखा समापन किया। सात सरकारी कंपनियों के लेखे एक से चार वर्षों की अवधि से लम्बित थे। 30 सितम्बर 2007 को सांविधिक निगम एवं स्वायत्त निकाय का लेखा क्रमशः पांच वर्षों एवं चार वर्षों से लंम्बित था।

यद्यपि संबंधित प्रशासनिक विभागों और राज्य सरकार के अधिकारियों को लेखे के समापन के लंम्बित रहने के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा सर्तक किया गया था, सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये परिणामस्वरूप पी.एस.यू. की निवल परिसम्पत्ति का निर्धारण नहीं किया जा सका।

6.1.7 कार्यरत पी.एस.यू. की वित्तीय स्थिति एवं कार्यरत परिणाम

कार्यरत पी.एस.यू. (सरकारी कंपनियाँ और सांविधिक निगम) के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम उनके अद्यतन अंतिम लेखे के अनुसार ***परिशिष्ट-6.2*** में दिये गये हैं। अद्यतन समापित लेखे के अनुसार दो कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने कुल 1.17 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया, दो कार्यरत सरकारी कम्पनियों को 57.63 लाख रूपये की हानि हुई एवं एक सांविधिक निगम को कुल 49.45 करोड़ रूपये की हानि हुई।

6.1.8 झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 (पूर्व में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 द्वारा जिसे रद्द कर दिया गया है) के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) की स्थापना की गई है। आयोग 24 अप्रैल 2003 से कार्यरत हुआ।

6.1.9 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रारूप कंडिकाओं के प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा अवलोकन, जिनका निष्पादन स्थल पर नहीं किया गया हो, का निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संबंधित पी.एस.यू. के प्रमुख और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को सूचित किया जाता है। पी.एस.यू. के प्रमुख को विभागों के संबंधित प्रमुखों के माध्यम से छः सप्ताह की अवधि के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन का उत्तर प्रस्तुत करना है। झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद एवं कम्पनियों से संबंधित मार्च 2007 तक निर्गत किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से यह पता चला कि मार्च 2007 के अंत तक 417 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 682 कंडिकायें लंबित थीं (***परिशिष्ट - 6.4***)।

इसी प्रकार पी.एस.यू. के क्रियाकलाप पर प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षा को संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को तथ्यों तथा आँकड़ों की संपुष्टि प्राप्त करने तथा उन पर उनकी टिप्पणी जानने के लिये छः सप्ताह की अवधि के भीतर अर्द्धसरकारी पत्र द्वारा अग्रसारित किया जाता है। तथापि, यह देखा गया कि विभिन्न विभागों को मई से जून 2007 के दौरान छः प्रारूप कंडिकायें एवं एक प्रारूप समीक्षा प्रेषित की गयी थी जिनमें से सभी छः प्रारूप कंडिकाओं एवं एक समीक्षा का उत्तर सरकार/परिषद/प्रबंधन से अभी तक (सितम्बर 2007) अप्राप्त है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि (क) वैसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान हो जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाएँ और कोपू की अनुशंसा पर ए.टी.एन्स के उत्तर निर्धारित समयावधि में भेजने में विफल रहें हों,(ख) हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली की कार्रवाई निर्धारित समय के भीतर की जाए तथा (ग) लेखापरीक्षा अवलोकन पर प्रत्युत्तर देने की प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए।

सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन समीक्षा

6.2 झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद में टैरिफ, विपत्रीकण एवं राजस्व संग्रहण

मुख्य अंश

समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी.एण्ड सी.) क्षति में प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत की लक्षित कमी के लक्ष्य को परिषद द्वारा चार वर्षों में भी नहीं किया जा सकी। लक्ष्य से अत्यधिक ए.टी.एण्ड सी. क्षति के कारण 2003-07 के दौरान 1,040.67 करोड़ रूपये की संभावित हानि हुई।

[कंडिका 6.2.8]

नए विद्युत संबंध नहीं देने के कारण परिषद को 5.71 करोड रूपये न्यूनतम शुल्क की हानि हुई।

[कंडिका 6.2.19]

धमन भट्ठी की क्षमता के गलत माप के कारण परिषद को 12.46 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका 6.2.20]

संविदा माँग से अधिक माँग पर अधिभार और विद्युत शुल्क भारित नहीं किये जाने के कारण परिषद को कुल 2.36 करोड रूपये राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका 6.2.22 एवं 6.2.26]

उपभोक्ताओं से 23.86 करोड रूपये प्रतिभूति जमा वसूलने में परिषद असफल रहा फलस्वरूप 12.74 करोड रूपये ब्याज की हानि हुई।

[कंडिका 6.2.27]

परिषद उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली में असफल रहा। फलस्वरूप राजस्व बकाया वर्ष 2002-03 के 2,757.62 करोड रूपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 4,124.17 करोड़ रूपये हो गया।

[कंडिका 6.2.28]

विद्युत विच्छेद किये गये उपभोक्तओ से बकाये की वसूली के लिए सामयिक कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करने में परिषद की विफलता के कारण 95.99 करोड़ रूपये की बकाया राशि कालातीत हो गयी।

[कंडिका 6.2.32]

बैंक द्वारा परिषद के खाता में 33.04 करोड़ रूपये जमा नहीं किये जाने के कारण परिषद को 12.26 करोड़ रूपये ब्याज की हानि हुई।

[कंडिका 6.2.38]

प्रस्तावना

6.2.1 झारखण्ड राज्य का 15 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आने के पश्चात् बाद, पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत परिषद (बी.एस.ई.बी.) के झारखण्ड में पड़ने वाले क्षेत्रों की परिसम्पत्ति और देनदारियो का अधिग्रहण करने के पश्चात, मार्च 2001 में झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद (परिषद) का गठन किया गया। विद्युत (आपूर्त्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 18 के अनुसार राज्य में विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण की जिम्मेदारी परिषद की है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 के प्रावधानों के अनुसार परिषद

को एक वर्ष तक के लिए राज्य संचरण उपभोगी और अनुज्ञप्ति धारक के रूप में माना गया था। राज्य सरकार ने भा.स. की सहमति से, परिषद को 15 नवंबर 2007 तक राज्य संचरण उपभोगी और अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्य करने के लिए अवधि विस्तार प्रदान किया। सदस्य (राजस्व) के सम्पूर्ण नियंत्रण में परिषद मुख्यालय में मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक एवं राजस्व) टैरिफ, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण के तकनीकी पहलुओं जैसे कि टैरिफ प्रस्तावना की संरचना, टैरिफ पर स्पष्टीकरण जारी करना इत्यादि को देखते है तथा लेखा पक्ष में निदेशक (राजस्व) राजस्व संग्रहण के लेखाकरण को नियंत्रित करते हैं। अंचल कार्यालयों में विद्युत अधीक्षण अभियंता एवं लेखा पदाधिकारी क्रमशः राजस्व निर्धारण एवं राजस्व संग्रहण देखते हैं। प्रमण्डलीय स्तर पर विद्युत कार्यापालक अभियंता एवं लेखा अधीक्षक राजस्व निर्धारण एवं संग्रहण का अनुश्रवण करते हैं। टैरिफ, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण से संबंधित झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद का संगठनात्मक चार्ट ***परिशिष्ट-6.5*** में दिया गया हैं।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

6.2.2 मार्च से जून 2007 के दौरान सम्पादित वर्तमान निष्पादन समीक्षा, वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान टैरिफ, सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विक्रय की गई उर्जा के लिए विपत्रीकरण, राजस्व संग्रहण एवं उसके लेखाकरण में परिषद के निष्पादन को सम्मिलित करती है।

6.2.3 नीचे दी गई तालिका उपभोक्ताओं की श्रेणीवार संख्या और निर्धारण राजस्व को इंगित करती है। लेखापरीक्षा में चयनित परिदर्श, 31 मार्च 2007 को राजस्व निर्धारण पर आधारित है, जो 17 अंचलों में से चयनित छह[2] अंचलों में सकल निर्धारित राजस्व का 72 प्रतिशत है।

क्रम संख्या	उपभोक्ताओं की श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या	वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व का निर्धारण (करोड़ रूपये में)	चयनित अंचलों के उपभोक्ताओं का राजस्व निर्धारण (करोड़ रूपये में)	चयनित अंचलों के उपभोक्ताओं के विपत्रीकृत राजस्व का कुल राजस्व से प्रतिशतता (5/4×100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	धरेलू	11,12,992	116.59	72.36	62
2	वाणिज्यिक	1,32,396	72.89	46.37	64
3	सार्वजनिक प्रकाश एवं वाटर वर्क्स	1,270	30.08	16.77	56
4	सिंचाई	19,199	2.44	0.70	29
5	औद्यौगिक (एल टी)	25,229	53.27	37.63	71
6	औद्यौगिक (एच टी) एवं रेलवे	1,363	915.94	681.91	74
कुल		**12,92,449**	**1,191.21**	**855.74**	**72**

(स्रोत- अनन्तिम राजस्व लेखे आँकडे)

बकाये के संबंध में उपभोक्ताओं के प्रति समग्र निष्पादन, दोषी उपभोक्ताओं की आपूर्त्ति का विच्छेदन न करना, स्थाई विच्छेदन के अन्तिमीकरण में देरी, और विद्युत विच्छेदित उपभोक्ताओं के लम्बित बकायों की भी जाँच की गई।

[2] धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची (आपूर्ति अँचल) तथा जमशेदपुर एवं राँची (संचरण अँचल)

लेखापरीक्षा के उददेश्य

6.2.4 लेखापरीक्षा का उददेश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्याः

- परिषद द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ आवेदन नियमित रूप से दायर किया गया;
- टैरिफ के अनुसार विपत्रीकरण प्रक्रिया का कार्यान्वयन दक्षतापूर्ण किया गया;
- राजस्व सग्रहण दक्ष एवं त्वरित था;
- संग्रहित राजस्व का लेखांकन परिशुद्ध था एवं बैंक में यथाशीघ्र जमा किया गया था;
- राजस्व बकाये की वसूली/कमी के लिए प्रभावी प्रयास किये गये; और
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी थी।

लेखापरीक्षा का मापदण्ड

6.2.5 लेखा परीक्षा उद्देश्यों की परिलब्धियों के मूल्यांकन के लिए अपनाये गये लेखापरीक्षा मापदण्ड थेः

- समय समय पर जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा जारी की गई टैरिफ आदेश की शर्ते एवं अधिसूचनायें;
- विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948/विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान;
- झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.)(विद्यत आपूर्ति संहिता) विनियमन, 2005 के प्रावधान ;
- सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के विपत्रीकरण एवं संग्रहण के लिए परिषद द्वारा बनाये गये निदेशपत्र, नियमावली और विनियम; तथा
- दोषी उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्रवई करने के लिए राज्य सरकार/जे.एस.ई. आर.सी./परिषद् के निदेशपत्र, नियमावली/विनियम।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया

6.2.6 निष्पादन समीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निम्न मिश्रण को अपनाया गयाः

- जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा जारी विनियमों/आदेशों/वितरण संहिताओं और परिषद् द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों का अध्ययन;
- परिषद् मुख्यालय में संधारित अभिलेखों जैसे टैरिफ आवेदन, उर्जा क्रय एवं उर्जा उत्पादन से संबंधित संचिकायें, आदेश/निर्देश/अधिसूचना संचिकायें, उर्जा विभाग और जे.एस.इ.आर.सी. सहित क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवा संबंध संचिकायें, विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी क्लीयरेंस प्रमाणपत्रों की पंजियों का परीक्षण;
- उपभोक्ताओं से किये गये अनुबन्धों, मीटर रीडींग, विपत्रीकरण संचिका, बही खाता के साथ पत्राचार संचिका, राजस्व संग्रहण प्रणाली एवं अन्य प्रतिवेदनों की जाँच;
- राजस्व के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विश्लेषण तथा राजस्व की वसूली में प्रभावशीलता; और

- लेखा परीक्षा पृच्छायें जारी कर संग्रहण और विश्लेषण किये गये ऑकडें/सूचनायें और प्रबन्धन के साथ सतत् वार्ता।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.2.7 लेखापरीक्षा निष्कर्षो को सरकार/परिषद् को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया तथा 7 नवम्बर 2007 को सम्पन्न, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी.एस.ई.) की बैठक में इस पर विचार विमर्श किया गया, जहाँ सरकार का प्रतिनिधित्व सचिव, उर्जा विभाग तथा परिषद् का प्रतिनिधित्व उनके सचिव द्वारा किया गया। सरकार/परिषद् के विचारों को ध्यान में रखते हुये समीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया।

निष्पादन समीक्षा के परिणामों जिनमें 184.71 करोड रूपये का वित्तीय प्रभाव सम्मिलित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया हैः

भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन

6.2.8 नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए पिछले चार वर्षों के दौरान विक्रय के लिए उपलब्ध उर्जा, वास्तविक उर्जा विक्रय तथा उर्जा की हानि की अवस्था को इंगित करती है।

क्रम संख्या	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	राज्य में ऊर्जा की आवश्यकता (एम यू)	5,105.00	5,809.00	6,420.00	6,646.00
2	क्रय एवं उत्पादित ऊर्जा (विक्रय के लिए उपलब्ध) (एम. यू.)	5,501.60	6,121.19	6,580.36	6,991.04
3	क्रय एवं उत्पादित ऊर्जा (करोड़ रूपये में)	1,247.35	1,486.07	1,554.63	1,523.40
4	प्रति के.डब्ल्यू.एच. क्रय एवं उत्पादित ऊर्जा की लागत (रूपये) (3/2)	2.27	2.43	2.36	2.18
5	ऊर्जा विक्रय (एम.यू.)	2,845.18	3,153.47	3,446.82	3,764.13
6	ऊर्जा हानि (एम.यू.) (2-5)	2,656.42	2,967.72	3,133.54	3,226.91
7	ऊर्जा विक्रय (करोड़ रूपये में)	1,072.13	1,106.83	1,180.16	1,191.21
8	प्रति के.डब्ल्यू.एच. ऊर्जा विक्रय की मूल्य (रूपये) (7/5)	3.77	3.51	3.42	3.16
9	ऊर्जा की हानि का मूल्य (करोड़ रूपये में) (6×8)	1,001.47	1,041.67	1,071.67	1,019.70
10	ऊर्जा की हानि की प्रतिशतता (6/2×100)	48.28	48.48	47.62	46.16
11	जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा प्रस्तावित संचरण एव वितरण हानि की कमी (प्रतिशत)	5	10	15	20
12	ऊर्जा प्राप्ति (एम यू)	2,673.00	2,992.91	3,077.40	3,564.53
13	कुल प्रणालीगत एवं वाणिज्यिक हानियॉ (एम.यू.) (2-12)	2,828.60	3,128.28	3,502.96	3,426.51
14	कुल प्रणालीगत एवं वाणिज्यिक हानियॉ (प्रतिशत में) (13/2)	51	51	53	49
15	जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा अनुमान्य अधिकतम ऊर्जा की हानि (एम.यू.)	2,381.09	2,343.19	2,189.94	1,977.07
16	जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा अनमान्य ऊर्जा हानि से अत्यधिक हानि (एम.यू.) (6-15)	275.33	624.53	943.60	1,249.84
17	जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा अनुमान्य ऊर्जा हानि से अत्यधिक हानि का मूल्य (करोड़ रूपये में) (8×16)	103.80	219.21	322.71	394.95
18	कुल प्रणालीगत एवं वाणिज्यिक हानियो का मूल्य (करोड़ रूपये में) (13×8)	1,066.38	1,098.03	1,198.01	1,082.78

(स्रोत- संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे)

परिषद द्वारा 2002-03 के लिए अनुमानित टी. एण्ड डी. हानियों के विरूद्ध आयोग ने परिषद से सलाह कर 2003-04 के लिए 5 प्रतिशत की कमी के लक्ष्य के लिए

जे एस ई आर सी द्वारा स्थापित लक्ष्य से अत्यधिक ए.टी एण्ड सी. हानियों के कारण परिषद को् 1,040.67 करोड़ रूपये मूल्य की 3,093.30 एम यू उर्जा हानि हुई

अनुमोदन प्रदान किया। प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत कमी का लक्ष्य अपनाने पर मार्च 2007 के अंत तक परिषद् को टी एण्ड डी हानियों में 28.28[3] प्रतिशत तक कमी करना था। लेकिन टी एण्ड डी हानियों को इन चार वर्षो के दौरान सिर्फ दो प्रतिशत तक कम किया गया एवं ए.टी. एण्ड सी. हानियाँ 50 प्रतिशत के करीब थी। फलस्वरूप, जे एस ई.आर.सी. द्वारा अनुमान्य ऊर्जा हानि से अधिक ऊर्जा हानि होने के कारण परिषद को 1,040.67 करोड़ रूपये मूल्य की 3,093.30 एम.यू. ऊर्जा की हानि हुई। अगस्त 2003 अपने टैरिफ आवेदन में दायर करते समय परिषद ने 2003-04 में ए.टी. एण्ड सी. हानियों को 9.66 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव यह निश्चित कर दिया था कि ए पी डी आर पी[4] के तहत मीटर लगाने का वृहत कार्यक्रम चल रहा है जिसमें टैम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर एवं फीडर तथा वितरण ट्रांसफर्मर में भी मीटर लगाने का कार्य सन्निहित है। लेकिन यह देखा गया कि परिषद् द्वारा प्रस्तावित टी. एंड डी. हानियों में कोई कमी नहीं हुई थी।

जे एस ई आर सी के समक्ष टैरिफ आवेदन दायर करना

6.2.9 परिषद ने अपने गठन के समय मार्च 2001 से एच टी एस एस[5] उपभोक्ताओं सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बी.एस.ई.बी. द्वारा 1993 में जारी टैरिफ अधिसूचना को अंगीकृत किया। इसने बी.एस.ई.बी. के द्वारा एच टी एस एस उपभोक्ताओं के लिए 2000 में जारी टैरिफ अधिसूचना को भी अंगीकृत किया। राज्य सरकार ने अगस्त 2002 में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के प्रावधान के अंतर्गत जे एस ई आर सी का गठन किया जो अप्रैल 2003 से कार्यशील हुआ। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(4) के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार टैरिफ दर को संशोधित किया जा सकता है, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को संबंधित विद्युत नियामक आयोग के समक्ष टैरिफ निर्धारण के लिए आवेदन दायर करना पड़ता है। परिषद् द्वारा 2003-2004 के लिए टैरिफ आवेदन अगस्त 2003 में दायर किया गया और जे एस.ई.आर.सी. द्वारा दिसंबर 2003 में नया टैरिफ आदेश अधिसूचित किया गया जो 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ। वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए परिषद् द्वारा अगस्त 2006 में जे.एस.ई..आर.सी. के समक्ष टैरिफ आवेदन दायर किया गया। वर्ष 2004-05 और 2005-06 में टैरिफ आवेदन दायर करने में परिषद् विफल रहा। परिषद् द्वारा 2004-05 और 2005-06 में टैरिफ आवेदन दायर करने में विफलता के कारण जनवरी 2004 के बाद टैरिफ दरों का पुनरीक्षण नहीं हो पाया और राजस्व निर्धारण में भा बाद में वृद्धि नहीं हो पायी।

जे एस ई आर सी के समक्ष 2004-05 एवं 2005-06 में टैरिफ आवेदन दायर नहीं किये जाने के फलस्वरूप जनवरी 2004 के पश्चात टैरिफ का पुनिरीक्षण नहीं हो पाया

आयोग ने 2 अगस्त 2006 को आवेदन इस निर्देश के साथ लौटा दिया कि इसे उत्पादन, संचरण और वितरण तीन भागों मे बाँटा जाय। परिषद् ने अंतिम रूप में सितम्बर 2006 में पुनरीक्षित आवेदन दायर किया। औपबंधिक लेखे एवं निश्चित सूचनायें मिलने के बाद, जनवरी 2007 में आयोग ने परिषद् को जनता के सुझाव, टिप्पणियाँ तथा आपत्तियॉ आमंत्रित करने के लिए आवेदन को मुद्रित करने की अनुमति प्रदान की। परिषद् ने जनवरी 2007 में इसे अधिसूचित किया एवं अपने वेबसाइट में डाला। आयोग ने आवेदन, आपत्तियाँ/सुझावों की जांच के पश्चात जनसुनवाई की और आदेश को

[3] 48.28 प्रतिशत - 20 प्रतिशत (चार वर्षों के लिए 5 प्रतिशत की दर से)

[4] त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम

[5] उच्च विभव विशिष्ट सेवा

निर्गत करने के लिए तैयार था जब अपीलीय अधिकरण ने डी.वी.सी.[6] द्वारा सी.ई.आर.सी. के टैरिफ निर्धारण के विरूद्ध दायर याचिका पर सुनवाई निश्चित की। मामले की सुनवाई के दौरान अपीलीय अधिकरण ने आदेश दिया कि (जे.एस.ई.आर.सी. तथा डब्ल्यू.बी.आर.सी.) द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किया जायगा। हाँलाकि, आयोग ने अगस्त 2007 में औपबंधिक टैरिफ आदेश जारी किया जिसके विरूद्ध परिषद् ने अक्टूबर 2007 में अपीलीय अधिकरण में याचिका दायर की। आगे का कार्रवाई प्रतीक्षित है (नवम्बर 2007)।

विपत्रीकरण प्रक्रिया

6.2.10 अतिरिक्त उच्च विभव/रेलवे संकर्षण सेवा (ई.एच.टी./आर.टी.एस.) एवं उच्च विभव (एच.टी.) का विपत्रीकरण क्रमशः संचरण अंचलों एवं विद्युत आपूर्ति अंचलों में होता है, जबकि निम्न विभव (एल टी) उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण आपूर्ति प्रमंडलों/ अवर प्रमण्डलों में होता है।

बा.एस.इ.बी. द्वारा 1962 में जारी निर्देशों ओर 1970 के स्थायी आदेश के साथ पठित 1993 की टैरिफ अधिसूचना जो उपभोक्ताओं के विपत्रीकरण एवं बाह्य एजेंसियों से समझौते के प्रावधानों से संबंधित था के अनुसार परिषद् ने एच.टी. एवं एल.टी. उपभोक्ताओं के विपत्रों के तैयार और भुगतान करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अंगीकृत कियाः

- एच.टी. उपभोक्ताओं के मामले में, मीटर पाठन का कार्य महीने के 24$^{वीं}$ से 28$^{वीं}$ तारीख में तथा विपत्र तैयार और जारी करने का काम जिस महीने से बिल संबंधित है उसके अगले महीने की पहली तारीख तक किया जाना है। विपत्र के भुगतान के लिए, विपत्र तैयार करने की तिथि से 20 दिनों का समय अनुमान्य है।
- एल टी उपभोक्ताओं के मामले में, मीटर पाठन का कार्य बाह्य एजेंसियों/परिषद के अधिकारियों द्वारा की जाती है। वेसे प्रमण्डलों/अवर प्रमण्डलों में जहाँ मीटर पाठन का कार्य बाहरी एजेंसियों को नहीं दिया गया है, वहाँ परिषद् के निर्देशों और स्थायी आदेशों के अनुसार विपत्र तैयार किया जाता है। मीटर पठन का कार्य प्रत्येक महीने की 25वीं/30वीं [7] तारीख तक पूर्ण कर लिया जाना है। मीटर पठन के आधार पर हर माह उपभोक्ता बही एवं विपत्र तैयार की जाती है ओर संबंधित उपभोक्ताओं को अगले महीने की 15 तारीख तक जारी कर दी जाती है। विपत्रों को बाह्य जेंसियों/परिषद् द्वारा वितरित किया जाता है। विपत्र के भुगतान के लिए विपत्र तैयार करने की तारीख से 15 दिनों का समय अनुमान्य है।
- नमूना जॉच किये गये अँचलों के 13 आपूर्त्ति प्रमण्डलों/अवर प्रमण्डलों में मीटर पठन, विपत्र तैयार करने, उपभोक्ता बही का निर्धारण एवं विपत्र वितरण का कार्य बाह्य अभिकरणों द्वारा किया जाता है। जबकि 15 प्रमण्डलों/अवर प्रमण्डलों में मीटर पठन एवं विपत्र वितरण से संबंधित कार्य परिषद के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

विपत्रीकरण प्रक्रिया में देखी गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की जा रही हैः

[6] दामोदर वैली कॉरपोरेशन

[7] जहाँ बाहय एजेंसी को दिया गया है

मीटर पाठन की जाँच

मीटर पठन के अथाह कम जाँच के कारण जारी किये गये विपत्रों का सत्यता सुनिश्चित नहीं कि जा सकी

6.2.11 परिषद् के अगस्त 2003 के निर्देशों के अनुसार संबंधित प्रमण्डलों/अवर प्रमण्डलों के अधिकारियों द्वारा मीटर पाठकों द्वारा लिए गए मीटर पठन की 10 प्रतिशत जाँच करनी चाहिए थी। आदित्यपुर, जमशेदपुर एवं धनबाद आपूर्त्ति प्रमण्डलों के वर्ष 2003-07 के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चलता है कि आदित्यपुर प्रमण्डल में संबंधित अभिकरणों द्वारा लिए गए कुल मीटर पठन का सिर्फ 0.82 से 1.36 प्रतिशत ही परिषद् के अधिकारियों द्वारा जाँच की गई। इसी तरह जमशेदपुर प्रमण्डलों में मीटर पाठन जाँच की प्रतिशत 0.04 और 13 के बीच थी। धनबाद प्रमण्डल में मीटर पठन की जाँच नहीं की गई। मीटर पठन की जाँच के अभाव में संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी किये गये विपत्रों का सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

विपत्र जारी करने में विलंब

6.2.12 परिषद् के फरवरी 1970 के स्थायी आदेश के अनुसार, सभी एच.टी. उपभोक्ताओं के मीटर पन का कार्य महीने 24वीं से 28वीं तारीख तक पूर्ण किया जाना चाहिये और जिस महीने का विपत्र है उसके अगले महीने की पहली तारीख तक विपत्र जारी कर दिया जाना चाहिए। हजारीबाग आपूर्त्ति अंचल में यह देखा गया कि 105 एच टी उपभोक्ताओं में से 10 एच टी उपभोक्ताओं को 51.18 करोड़ रूपये का विपत्र 1 से 17 दिनों के विलम्ब से जारी किया गया। विपत्रीकरण और संग्रहण में विलम्ब के कारण 13[8] प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 6.56 लाख रूपये ब्याज की हानि हुई।

विपत्र का संग्रहण

6.2.13 अभिलेखों के आगे की जाँच में यह पाया गया कि जारी किये विपत्रों में से 40 से 41 प्रतिशत संग्रहण उसी महीने नहीं हो पाया। नमूना जाँच किये गये प्रमण्डलों में 7.26 करोड़ रूपये औसत मासिक निर्धारण के विरूद्ध उसी महीने में औसत असंग्रहित राशि 2.47 करोड़ रूपये थी। विपत्रों की जाँच के अभाव में अगस्त 2003 के बाद नमूना जाँच किये गये महीनों में प्रमण्डलों द्वारा राजस्व संग्रहण में कोई सुधार नहीं था। प्रमण्डलीय कार्यालयों में 100 प्रतिशत विपत्र वितरण करने वाली प्रणाली नहीं रहने के कारण वृहत संख्या में विपत्रों का वितरण सुनिश्चित नहीं किये जाने की सभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विलम्बित भुगतान अधिभार का उदग्रहण नहीं किया जाना

विलम्बित भुगतान अधिभार का उदग्रहण नहीं किये जाने के कारण 18.03 लाख रूपये की हानि हुई

6.2.14 परिषद के अगस्त 2002 के निर्देश एवं जे.एस.ई.आर.सी. के दिसम्बर 2003 के टैरिफ आदेश के अनुसार, एच.टी. एस.एस.[9] उपभोक्ताओं के ऊर्जा विपत्र के विलम्ब् से भुगतान के लिए प्रति हफ्ते आधा प्रतिशत की दर से विलम्बित भुगतान अधिभार (डी.पी.एस.) का उद्ग्रहण होना है। विद्युत आपूर्त्ति अंचल, हजारीबाग के 105 उपभोक्ताओं के विपत्रों की जॉच से ज्ञात हुआ कि मई 2002 से अगस्त 2006 के दौरान तीन उपभोक्ताओं पर 18.03 लाख रूपये के डी पी एस का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

[8] जिस दर पर परिषद को सरकार द्वारा ऋण की प्राप्ति होती है

[9] उच्च विभव विशिष्ट सेवा - संबंध सेवा जिसमें उर्जा का इस्तेमाल धमन भट्ठी चलाने में किया जाता है

तदर्थ विपत्रीकरण

शत प्रतिशत मीटर लगाने के प्रावधान के विपरीत 31 मार्च 2007 दो अंचलों में बिना मीटर के संबधों कही संख्या 73 एवं 33 प्रतिशत थी

6.2.15 ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के बीच अप्रैल 2001 के एम.ओ.यू. के अनुसार सभी उपभोक्ताओं के यहाँ 100 प्रतिशत मीटर लगाने का कार्य मार्च 2002 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि लेखा परीक्षा जाँच से उद्घटित हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में वृहत् संख्या में उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर नहीं लगाया गया और संबद्ध भार के आधार पर नियत इकाई पर विपत्रीकरण जारी था। दो आपूर्त्ति अंचलों के पाँच प्रमण्डलों में 31 मार्च 2007 को बिना मीटर के उपभोक्ताओं की स्थिति निम्न प्रकार थीः

आपूर्ति अँचल का नाम	पंजीकृत संबद्ध सेवायें	बिना मीटर की संबद्ध सेवायें					बिना मीटर की संबद्ध सेवाये की पंजीकृत संबद्ध सेवाओं पर प्रतिशतता (3/2 100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से उपर	कुल	
जमशेदपुर	54,487	2,040	2,703	6,423	28,851	40,017	73
राँची	2,33,165	8,422	6,363	13,974	47,384	76,143	33
कुल	**2,87,652**	**10,462**	**9,066**	**20,397**	**76,235**	**1,16,160**	**40**

(स्रोत- प्रमण्डलों का मासिक प्रतिवेदन)

31 मार्च 2007 को बिना मीटर की संबंद्ध सेवाएँ जमशेदपुर एव राँची आपूर्त्ति अंचलों में क्रमशः 73 एवं 33 प्रतिशत थी, जबकि एम.ओ.यू. के अनुसार मार्च 2002 तक परिषद् को 100 प्रतिशत मीटर लगाने का कार्य पूर्ण करना था। तथापि नमूना जाँच किये गये आपूर्त्ति अंचलों में ग्रामीण संबद्ध सेवाओं को बिना मीटर के विद्युत संबंध दिया जाना जारी था। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संबंध बिना मीटर के थे, इस कारण तदर्थ विपत्रीकरण किया जाना जारी था।

कम विपत्रीकरण

एल टी उपभोक्ताओं को औसत आधार पर कम विपत्रीकरण के कारण परिषद् को 1.91 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई

6.2.16 परिषद, प्रति महीना संबद्ध भार के प्रति किलोवाट 144 और 288 इकाई की समान दर से बिना मीटर/दोषपूर्ण मीटर वाले क्रमशः घरेलू (डी.एस.) एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (सी.एस.) से विद्युत प्रभार वसूलता है। चार प्रमण्डलों के अभिलेखों की जाँच से पता चला 5,577 (डी.एस. - 5,120,सी.एस.- 457) उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण औसत आधार पर किया गया जो 144 और 288 इकाई प्रति महीने प्रति किलोवाट से निम्न था। अतः बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को समान दर से कम पर प्रभारित करने से परिषद् को 2005-06 से 2006-07 के दौरान 1.91 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई।

चार एच टी मामलों में मीटर लगाने में विफलता के फलस्वरूप 4.65 करोड़ रूपये की हानि हुई

6.2.17 यह भी पाया या कि धनबाद आपूर्त्ति अंचल में 16 एच.टी. विद्युत संबंधों का मीटर अप्रैल 1990 से अगस्त 2005 तक दोषपूर्ण था। परिषद् ने एक उपभोक्ता का मीटर सितम्बर 2005 में और सात उपभोक्ताओं का मीटर मार्च से जून 2007 के दौरान बदला। एक उपभोक्ता का सितम्बर से नवंबर 2005 तक एवं तीन उपभोक्ताओं का अप्रैल से जून 2007 के उर्जा विपत्रों की नमूना जाँच से पता चलता है कि दोषपूर्ण मीटरों को बदलने के बाद वास्तविक खपत दोषपूर्ण मीटर के समय औसत उर्जा खपत से अधिक थी। इन विद्युत संबंधों के दोषपूर्ण मीटरों को बदलने में परिषद् विफल रहा

जिससे अप्रैल 2002 से मार्च 2007 तक 4.65 करोड़ रूपये की हानि हुई, जैसा की ***परिशिष्ट-6.6*** में निर्दिष्ट है। आगे, बचे हुए आठ विद्युत संबंधों का दोषपूर्ण मीटर नहीं बदलने के कारण उपभोक्ताओं को अभी भी अनुचित लाभ दिया जा रहा है।

नये विद्युत संबंध देने में विलम्ब

6.2.18 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 (3) के अनुसार, किसी भी परिसर के मालिक या उसमें रहने वाले के आवेदन पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर उस परिसर में विद्युत संबंध देना है। अगर अनुज्ञप्तिधारी नियत समय के दौरान विद्युत आपूर्त्ति देने में विफल रहता है तो, उनपर चूक के प्रत्येक दिन के लिए दण्डस्वरूप एक हजार रूपये तक आवेदक/उपभोक्ता को देने की जिम्मेदारी होती है।

मार्च 2007 तक पिछले पाँच वर्षो के लिए आठ अवर प्रमण्डलों में प्राप्त आवेदन एवं विद्युत संबंध देने की स्थिति निम्नप्रकार थीः

वर्ष	प्रारम्भ शेष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष में आवेदनों की कुल संख्या	दिये गये विद्युत संबंध (कोष्ठ में दिये गये अंक प्रतिशतता को दर्शाते है)	लंबित आवेदनों की संख्या
2002-03	-	6,976	6,976	4,787 (69)	2,189
2003-04	2,189	9,226	11,415	6,583 (58)	4,832
2004-05	4,832	7,571	12,403	6,401 (52)	6,002
2005-06	6,002	8,573	14,575	6,621 (45)	7,954
2006-07	7,954	7,077	15,031	6,057 (40)	8,974
कुल		39,423		30,449 (77)	

(स्रोत- आंकडे अवर प्रमण्डलों द्वारा उपलब्ध कराये गये)

एल, टी, विद्युत संबंध देने में विलम्ब के कारण परिषद् पर 63.55 करोड़ रूपये का दायित्व वहित हुआ

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विगत पाँच वर्षों के दौरान कुल आवेदन प्राप्ति में से सिर्फ 77 प्रतिशत मामलों में विद्युत संबंध दिये गये। 31 मार्च 2007 को लंबित आवेदनों (8,974) की संख्या प्राप्त आवेदनों (7,077) की संख्या से ज्यादा थी। यह देखा गया कि 2003-04 से 2006-07 के दौरान नये विद्युत संबंध देने की प्रतिशतता 58 से घटकर 40 हो गई। इसके अलावे, यह पाया गया कि 1,897 आवेदन एक साल से अधिक समय तक लम्बित थे। अतः नये विद्युत संबंध देने में विलंब के कारण परिषद् पर आवेदकों/उपभोक्ताओं को दण्डस्वरूप 63.55[10] करोड़ रूपये दायित्व के भुगतान की जिम्मेवारी आ गई।

6.2.19 एच.टी. विद्युत संबंधों से संबंधित अभिलेखों की जाँच से आगे यह पाया गया कि तीन एच.टी. विद्युत संबंधों को 4 से 17 महीनों की देरी से विद्युत संबंध दिये गये, जिसके परिणामस्वरूप 5.71 करोड़ रूपये की संभावित हानि निम्नप्रकार से हुई :

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	स्वीकृत भार (के भी ए में)	विलंब से भार स्वीकृति/ विद्युत संबंध देने की अवधि (महीने में)	राजस्व की हानि (करोड़ रूपये में)	विलंब का कारण
1	कुमारधुवी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, धनबाद	2,400	4	0.38[11]	अनुपलब्ध
2	माँ छिन्नमस्तिका स्पोन्ज आईरन लिमिटेड, हजारीबाग	2,400	17	4.13[12]	-वही-

[10] 1,897 × 335 दिन (365-30 दिन) × 1,000 रूपये

[11] 2,400 के. भी. ए. × 400 रूपये × 4 महीने

[12] 1,012 प्रति के. भी. ए. × 2,400 के. भी. ए. × 17 महीन

3	ए एस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, जमशेदपुर	3,000	10	1.20[13]	-वही-

(स्रोत- आंकडे अंचलों द्वारा उपलब्ध कराये गये)

इन मामलों में लेखा परीक्षा ने पाया किः

एच. टी. विद्युत संबंध देने में विलम्ब के कारण 5.71 करोड़ रूपये की संभावित राजस्व की हानि हुई

- कुमारधुबी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, धनबाद ने 2,400 के भी ए संविदा माँग के लिए नवंबर 2002 में एच टी विद्युत संबंध के लिए आवेदन दिया था। फीडर का काम अगस्त 2003 में पूर्ण हो गया था और विद्युत निरीक्षक ने सितंबर 2003 में विद्युत संबंध देने की अनुमति प्रदान कर दी थी। परन्तु चार परिषद् द्वारा महीने के पश्चात फरवरी 2004 में आपूर्त्ति प्रदान की गई। अतः विद्युत संबंध देने में चार महीने के परिहार्य विलम्ब के कारण न्यूनतम मासिक शुल्क के रूप में 38.40 लाख रूपये राजस्व की हानि हुई।

- इसी तरह एक अन्य उपभोक्ता, छिन्नमस्तिका स्पाँज आइरन लिमिटेड, हजारीबाग ने 2,400 के भी ए संविदा माँग के लिए जनवरी 2002 में एच टी विद्युत संबंध के लिए आवेदन दिया था। परिषद् द्वारा अगस्त 2002 में जारी अधिसूचना के अनुसार विद्युत संबंध के लिए आवेदन देने की तिथि से एक माह के अंदर भार को स्वीकृत करना था। परन्तु महाप्रबन्धक सह मुख्य अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति क्षेत्र, हजारीबाग ने 17 महीने के विलम्ब के बाद अगस्त 2003 में भार की स्वीकृति प्रदान की। विलम्ब से भार स्वीकृति का कोई कारण अभिलेखों में नहीं था। अंततः जुलाई 2004 में विद्युत संबंध दिया गया। विलम्ब से भार स्वीकृति के कारण परिषद को न्यूनतम मासिक शुल्क के रूप में 4.13 करोड़ रूपये की हानि हुई।

- जे.एस.ई.आर.सी. (विद्युत आपूर्त्ति संहिता) विनियमन, 2005 के अनुसार एच.टी. उपभोक्ता को विद्युत संबंध देने के लए आवेदन की तिथि से अधिकतम 153 दिनों का समय मान्य है। यह देखा गया कि एक एच.टी. उपभोक्ता, ए.एस. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, जमशेदपुर ने 3,000 के भी. ए. संविदा माँग के लिए दिसम्बर 2004 में आवेदन दिया । परिषद ने दिसम्बर 2004 में भार स्वीकृत किया और उपभोक्ता के अनुरोध पर स्वीकृति की वैधता सितम्बर 2005 तक बढ़ा दी। उपभोक्ता ने सितम्बर 2005 में भट्ठी की माप के लिये परिषद् को अनुरोध किया ताकि एक महीने के अन्दर विद्युत संबंध प्रदान किया जा सके। माप समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर परिषद् ने सितम्बर 2005 में भट्ठी की माप का मूल्यांकन किया और परिषद् के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को विद्युत संबंध देने का निर्देश दिया। अंततः अगस्त 2006 में विद्युत संबंध प्रदान किया गया। भट्ठी की माप लेने के पश्चात भी परिषद् द्वारा विद्युत संबंध प्रदान करने में 10 महीने से अधिक का समय लगा। फलस्वरूप, परिषद् को न्यूनतम मासिक शुल्क के रूप 1.20 करोड़ रूपये में की हानि हुई।

धमन भट्ठी क्षमता की गलत माप

बत्तीस विद्युत उपभोक्ताओं के धमन भटठियों का गलत मांप के कारण परिषद् को 12.46 करोड़ रूपये की हानि हुई

[13] 3,000 के. भी. ए. × 400 रूपये × 10 महीने

6.2.20 बी.एस.ई.बी. ने मार्च 2000 मे उच्च विभव विशिष्ट सेवा (एच.टी.एस.एस. यथा, वैसे एच टी विद्युत संबंध जिनके पास धमन भट्ठी है, के लिए नयी टैरिफ सूची जारी की जिसके अनुसार इन विद्युत संबंधों का भार भट्ठियों के टनों की जरूरत भार के हिसाब से स्वीकृत किया जाना था। बाद में अगस्त 2001 में धमन भट्ठियों की क्षमता माप के लिए अनेक प्राचल मापदण्ड जैसे क्रूसीबल का व्यास, क्वायल (कुण्डल) की उॅचाई, पिघले हुए स्टील का घनत्व इत्यादि का प्रतिपादन किया गया। अक्टूबर 2004 में भिन्न क्षमताओं के धमन भट्ठियों के लिए एक और प्राचल अर्थात रैमिंग परिमाण की अनुमान्य मोटाई भी निर्धारित की गई। उपर्युक्त प्रतिपादनों को ध्यान में रखते हुए भट्ठियों की क्षमता का निर्धारण करने के बाद, मार्च 2000 की टैरिफ अधिसूचना के अनुसार भट्ठियों की क्षमता की 600 के.भी.ए.प्रति एम.टी. की दर से विद्युत संबंधों की संविदा मांग तय की जानी थी।

धमन भटठियों की क्षमता निर्धारण के लिए जे.एस.ई.बी. ने पिघले हुए स्टील का घनत्व 789/7.8 ग्राम/सी सी अपनाया जैसा कि बी.एस.ई.बी. द्वारा अनुपालन किया जा रहा था। तथापि परिषद् ने अक्टूबर 2002 से धमन भट्ठियों की क्षमता का आकलन, पिघले हुए स्टील का घनत्व 6.965 ग्राम/सी सी के हिसाब से करना शुरू किया और उनकी संविदा मांग तय की।

यह देखा गया कि पिघले स्टील के घनत्व की माप 7.89 से 6.965 ग्राम/सा.सी. कम करने का औचित्य अभिलेखों में नहीं था। धमन भट्ठियों की क्षमता की माप पिघले स्टील के घनत्व का कम माप ले कर किया गया। इसके परिणामस्परूप संविदा माँग का कम निर्धारण हुआ। फलस्वरूप, अक्टूबर 2004 से मार्च 2007 तक छह आपूर्त्ति अंचलों[14] से संबंधित 32 एच.टी. विद्युत संबंधों से परिषद् को 12.46 करोड़ रूपये की माँग एवं न्यूनतम मासिक शुल्क की हानि हुई।

परीक्षित भटठी को दूसरी भट्ठी से बदल दिया जाना

6.2.21 परिषद् ने फरवरी 2002 में 2,100 के.भी.ए.की संविदा माँग पर रूद्रा स्टीलस प्राईवेट लिमिटेड को एच.टी.एस.एस. विद्युत संबंध जारी किया। विद्युत संबंध बहाल करने के पहले परिषद् द्वारा भट्ठी[15] की क्षमता 3.446 एम.टी. मापा गया और भट्ठी की क्षमता के आधार पर 2,100[16] के.भ.ए.संविदा माँग की गणना की गयी। जून 2003 में आपूर्त्ति अंचल ने आपूर्त्ति प्रणाली से जुड़े हुआ भट्ठी का निरीक्षण किया और यह पाया कि भट्ठी का नक्शा और क्षमता भिन्न था। भट्ठी[17] की क्षमता 4.53 एम.टी. पायी गई। अतः भट्ठी की क्षमता के अनुसार विद्युत संबंध की संविदा माँग 2,718[18] के.भी.ए. निश्चित करना था। चूॅकि परीक्षित भट्ठी को दूसरी भट्ठी से बदल दिया गया था, संविदा माँग को नयी भट्ठी की क्षमता के आधार पर पुनरीक्षित/पुनः माप किये जाने की आवश्यकता थी। इसलिए जून 2003 में अंचल ने, आगे अग्रतर विपत्रीकरण हेतु मानक सूचित करने के लिए परिषद् मुख्यालय से निवेदन किया। पर इस दिशा में अंचल को

[14] चाईबासा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर तथा लोयाबाद

[15] जी ए डी ए नील भारत, कोलकाता निर्मित, नक्शा संख्या ए 2 - 20746

[16] 3.5 एम टी × 600 के भी ए/एम टी = 2,100 के भी ए

[17] जी ए डी ए नील भारत, कोलकाता निर्मित, नक्शा संख्या ए 2 - 07075

[18] 4.53 एम टी × 600 के भी ए/एम टी = 2,718 के भी ए

परिषद् से तो कोई निर्देश मिला न ही परिषद् मुख्यालय से मामले की जानकारी आगे ली गई। अतः 2,718 के.भी.ए. के विरूद्ध 2,100 के भी ए पर विपत्रीकरण जारी रहा। भट्ठी की वास्तविक क्षमता के आधार पर विपत्रीकरण नहीं किये जाने के कारण फरवरी 2002 से अप्रैल 2005 की अवधि में मॉग शुल्क/न्यूनतम मासिक शुल्क के रूप में 1.58 करोड़ रूपये का कम उदग्रहण हुआ।

संविदा माँग के बढ़ने पर अधिभार का उदग्रहण नहीं होना

संविदा मांग अत्यधिक होने पर अधिभार लगाने मे विफलता के कारण 47.33 लाख रूपये राजस्व की हानि हुई

6.2.22 अप्रैल 2001 से धमन भट्ठी वाले एच.टी. विद्युत संबंधों के लिए मई 2001 में जारी टैरिफ अनुसूची के अनुसार, प्रत्येक महीने के लिए विद्युत संबंधों का विपत्रीकृत माँग, शत प्रतिशत संविदा माँग अथवा उच्चतम मॉग में जो भी ज्यादा हो, माना जायेगा और यदि वास्तविक अधिकतम माँग संविदा माँग 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाये तो इसे ही पूरे वित्तीय वर्ष के लिए संविदा माँग माना जायेगा। जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा दिसम्बर 2003 में निर्गत टैरिफ आदेश में उपर्युक्त प्रावधान को निर्दिष्ट किया गया है। चाईबासा आपूर्त्ति अंचल से संबंधित 12 विद्युत संबंधों के एच.टी. एस.एस. विपत्रों की नमूना जाँच में पाया गया कि 2006-07 में दो विद्युत संबंधों में मापी गयी माँग संविदा मांग के 10 प्रतिशत से अधिक थी, परन्तु उन पर 47.33 लाख रूपये का अधिभार लगाने में परिषद विफल रहा।

अत्यधिक ट्रांसफर्मर क्षमता

परिषद् को ट्रांसफरमर के अत्यधिक क्षमता पर 4.47 करोड़ रूपये की वसूलनीय क्षतिपूर्ति शुल्क की हानि हुई

6.2.23 एच टी उपभोक्ताओं के लिए 1993 की टैरिफ के उपबंध 16.4 के अनुसार, एच.टी.उपभोक्ताओं के ट्रांसफर्मर की क्षमता उनकी संविदा माँग के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और उपभोक्ता को अगर इस प्रावधान का उल्लंघन करते पाया गया तो उनका विद्युत संबंध विच्छेदित कर दिया जाना है। बाद में, अगस्त 1996 में बी.एस.ई.बी. ने सभी उपभोक्ताओं को उपर्युक्त प्रावधान का पालन करने के लिए छह महीने की अवधि प्रदान की। अंततः अक्टूबर 2002 में इसने अधिसूचित किया कि स्वीकार्य संविदा माँग से अत्यधिक क्षमता का ट्रांसफर्मर इस्तेमाल करने को कदाचार माना जायेगा। ऐसे मामले के लिए अक्टूबर 2002 में आगे यह निर्णय लिया गया कि, कदाचार की पूर्ण अवधि के दौरान ट्रांसफर्मर क्षमता की दो तिहाई को संविदा माँग मान कर और स्वीकृत टैरिफ के अधीन मौजूदा दर का दुगना मे से माँग का शुल्क जो पहले लगाया गया है, को घटाकर, उपभोक्ता द्वारा क्षतिपूर्त्ति देय होगी। अगर कदाचार की अवधि का पता नहीं चल पाता है तो वैसे कदाचार का पता लगने के छह महीने पूर्व की अवधि को लिया जाना है।

लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि चार एच.टी.उपभोक्ता जरूरी क्षमता से अधिक क्षमता का ट्रांसफर्मर उपयोग में ला रहे थे। अक्टूबर 2002 में जारी किये गये निर्देश के आलोक में इन उपभोक्ताओं को आरोपित करने में परिषद् विफल रहा। फलस्वरूप, अत्यधिक क्षमता के ट्रांसफर्मर के उपयोग के लिये परिषद् को 4.47 करोड़ रूपये वसूलनीय क्षतिपूर्त्ति शुल्क की हानि हुई, जैसा कि ***परिशिष्ट -6.7*** में वर्णित है।

कैप्टीव विद्युत संयंत्र के साथ विद्यमान अनुबंध का पुनरीक्षण नहीं किया जाना

6.2.24 उषा मार्टिन इण्डस्ट्रीज (उषा एलायज व स्टील डिविजन) के साथ मई 2002 में 10 वर्षो की अवधि के लिए जे.एस.ई.बी. प्रणाली के साथ 25 मेगा वाट कैप्टीव विद्युत संयत्र (सी.पी.पी.) का समकालिक प्रचालन के लिए परिषद् ने समझौता किया था। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उषा मार्टिन इण्डस्ट्रीज (यू.एम.आई.) अनुबन्ध द्वारा उत्पादित विद्युत का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिये करना था। गम्हरिया, आदित्यपुर, जमशेदपुर और राँची में स्थित अपनी अन्य इकाइयों को भी उत्पादित विद्युत प्रवाहित किया जाना था और अतिरिक्त विद्युत यदि कोई हो, को जे.एस.ई.बी. ग्रिड मे देना था। अन्य इकाइयों में विद्युत प्रवाहित करने के लिए परिषद द्वारा गठित समिति द्वारा प्रवाहन शुल्क निर्धारित किया जाना था तथा अतिरिक्त विद्युत 132 के भी ई.एच.टी. के लिए लागू टैरिफ दर के 80 प्रतिशत पर परिषद को विक्रय करना था।

किन्तु मई 2003 से लागू विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 12 के साथ पठित धारा 14 के अनुसार, राज्य के विभिन्न स्थानों पर अवस्थित इकाइयों को सी.पी.पी. से विद्युत संचरण करने के लिए/विद्युत प्रवाहित करने के लिए नियामक आयोग से अभिज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करना है। आगे, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 62 के अनुसार उत्पादन कम्पनी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्त्ति और उत्पादित उर्जा को प्रवाहित करने के लिये, टैरिफ का निर्धारण भी नियामक आयोग द्वारा किया जाना है।

अतएव, मई 2002 में परिषद् के साथ उषा मार्टिन इण्डट्रीज द्वारा किया गया अनुबंध अमान्य हो गया। आगे, अनुबंध के अनुसार, यू.एम. आई को अपने सी.पी.पी. के लिए परिषद् से विद्युत लेने के एवज में उर्जा विपत्र भुगतान के लिए 30 दिनों की अवधि अनुमान्य थी। विद्युत आपूर्त्ति संहिता विनियमन, 2005 के अधिसूचित होने के बाद भी अवधि का पुनरीक्षण नहीं किया गया जिसमें बकाये की अदायगी के लिए 21 दिनों का समय विहित था। अतः विहित 21 दिनों के समय के बजाय भुगतान के लिये 30 दिनों के समय की अनुमति से परिषद् ने उपभोक्ता को अनुचित फायदा पहुँचाया जिससे नवंबर 2005 से मार्च 2007 तक 6.66 लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई।

विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए अत्यधिक समय दिया जाना

विद्युत विपत्र के भुगतान के लिए अत्यधिक अवधि की अनुमति के कारण 74.52 लाख रूपये ब्याज की हानि हुई

6.2.25 एच टी विपत्रों के भुगतान के लिए जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा जुलाई 2005 में अधिसूचित विद्युत आपूर्त्ति संहिता विनियमन, 2005 में 21 दिनों की अवधि की अनुमति दी गई है। परन्तु परिषद् द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों और उनके उपक्रमों को उनके (एच.टी.एवं एल.टी.) विपत्रों के भुगतान के लिये 30 दिनों के समय की अनुमति दिया जाना जारी था। नवंबर 2005 से विद्युत आपूर्त्ति विनियमन नहीं अपनाने के कारण 300.15 करोड़ रूपये का राजस्व विलंब से वसूल हुआ। 15 विद्युत संबंधों के मामले में विलम्ब एक से नौ दिनों के बीच था, फलस्वरूप नवंबर 2005 से मार्च 2007 तक 74.52 लाख रूपये ब्याज की हानि हुई, जैसा कि ***परिशिष्ट - 6.8*** में ब्यौरा दिया गया है।

विद्युत शुल्क का निर्धारण नहीं होना

भारत सरकार के तीन उपक्रमों पर 1.89 करोड़ रूपये विद्युत शुल्क नही लगाये जाने के फलस्वरूप राजकोष की हानि हुई

6.2.26 बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3 (1) के अनुसार विद्युत उपभोग के लिए विद्युत शुल्क आरोप्य है। तथापि भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के कार्यालयों द्वारा विद्युत उपभोग पर विद्युत शुल्क आरोप्य नहीं है। आगे धारा 3(2) (घ)

और (च) के साथ पठित धारा 9 के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी भी वर्ग के लोगों/विद्युत संबंधों को राज्य सरकार शुल्क भुगतान से छूट प्रदान कर सकती है। परन्तु जी.ओ.आई. के उपक्रमों को विद्युत शुल्क के भुगतान के लिए छूट प्राप्त नहीं थी।

यह देखा गया कि जी.ओ.आई. के तीन पी.एस.यू. (चार विद्युत संबंधों) पर अप्रैल 2002 से मार्च 2007 तक 1.89 करोड़ रूपये का विद्युत शुल्क नहीं लगाया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः

क्रम संख्या	पी. एस.यू. का नाम	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	हेवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रॉची	0.69
2.	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, जमशेदपुर	0.46
3.	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, जमशेदपुर	0.74
कुल		**1.89**

प्रतिभूति जमा का संग्रहण नहीं किया जाना

6.2.27 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 47 (1) के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्त्ति के लिए उपभोक्ता से प्रतिभूति जमा प्राप्त करने का अधिकार होता है। लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि बिहार सरकार के 1958 और 1959 में जारी किये गए निर्देशों के अनुसार बिहार राज्य विद्युत परिषद् ने 1958 और 1959 में विद्युत आपूर्त्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के विभाग, राज्य सरकार के विभाग, जी.ओ.आई. उपक्रमों और राज्य उपक्रमों से प्रतिभूति जमा वसूली को निरस्त कर दिया। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के संदर्भ में परिषद् इस पहलू को पुनरीक्षित करने में विफल रहा।

अभिलेखों की जाँच से पाया गया कि केन्द्रीय सरकार के विभागों/जी.ओ.आई. उपक्रमों के 12 विद्युत संबंधों से प्रतिभूति जमा न तो विद्युत संबंध बहाल करने के समय न ही बाद में संग्रहित किया गया। परिषद् द्वारा 23.86 करोड़ रूपये की प्रतिभूति जमा वसूलने में विफलता के परिणामस्वरूप ऐसे उपभोक्ताओं को अनुचित फायदा पहुँचाया गया, एवं मार्च 2007 तक विगत छह वर्षो के लिए 12.74 करोड़ रूपये ब्याज की आनुषंगिक हानि हुई।

राजस्व का संग्रहण

6.2.28 चूँकि उर्जा के विक्रय से परिषद को राजस्व प्राप्त होता है, राजस्व का तत्कालिक संग्रहण काफी महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 06-07 तक विगत पॉच वर्षो के दौरान वर्ष के आरम्भ में बकाया शेष, निर्धारित राजस्व की तुलना में संग्रहित राजस्व तथा वर्ष के अंत में बकाया शेष को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया हैः

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
		(औपबंधित)				
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेष	2,373.33	2,757.62	3,176.44	3,664.95	3,745.84
2.	निर्धारित राजस्व	1,334.47	1,426.54	1,539.02	1,524.87	1,504.72
3.	वसूली के लिए कुल बकाया राशि	3,707.80	4,184.16	4,715.46	5,189.82	5,250.56
4.	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	950.18	1,007.72	1,050.51	1,443.98[19]	1,126.39
5.	वर्ष के अन्त मे बकाया शेष	2,757.62	3,176.44	3,664.95	3,745.84	4,124.17
6.	निर्धारित राजस्व पर वसूली गई राशि की प्रतिशतता (4/3)	71.20	70.64	68.26	69.02[20]	74.86
7.	कुल बकाया पर वसूली गई राशि का प्रतिशतता (4/3)	25.63	24.08	22.28	27.82	21.45
8.	बकायें में वृद्धि (5-1)	384.29	418.82	488.51	80.89	378.33
9.	वृद्धि की प्रतिशतता (8/1)	16.19	15.19	15.38	2.20	10.10
10.	मासिक निर्धारण में बकाया (महीने) (5/2×12)	24.80	26.72	28.57	29.47	32.89
11.	वसूली लक्ष्य	975.40	1,357.30	1,504.43	1,018.85	1,779.84

यह देखा गया किः

प्रभावहीन संग्रहण संरचना के कारण 2002-03 में 2,757.62 करोड़ रूपये की बकाया राशि 2006-07 में बढ़कर 4,124.17 करोड़ रूपये हो गई

- वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान प्रत्येक वर्ष तय की गई वसूली लक्ष्य, इन वर्षो में निर्धारित राजस्व से कम था। बकाये राशि के लिए पृथक लक्ष्य तय नहीं किया गया। प्रत्येक वर्ष राजस्व वसूली का लक्ष्य अपने वर्षो के प्रारम्भ शेष का 28 से 49 प्रतिशत के बीच में था।
- वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान राजस्व वसूली/संग्रहण प्रत्येक वर्ष के निर्धारित राजस्व से कम था।
- बकाया राशि में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हुई एवं यह वर्ष 2002-03 के 2,757.62 करोड़ रूपये से बढ़कर 2006-07 में 4,124.17 रूपये हो गयी। मासिक निर्धारण के अर्थ में बकाया राशि 2002-03 में 24.80 से बढ़कर 2006-07 में 32.89 हो गया।

[19] इसमें 391.51 करोड़ रूपये का पूर्व अवधि का समायोजन सन्निहित है

[20] पूर्व अवधि का समायोजन को छोड़कर

- निर्धारित राजस्व पर वसूली गई राजस्व की प्रतिशतता 2002-03 से 2006-07 के दौरान 68.26 तथा 74.86 के बीच थी।
- परिषद् द्वारा बकायों का वर्ष-वार विश्लेषण नहीं किया गया था।

आगे जून 2007 में यह देखा गया कि राजस्व का निम्न संग्रहण और बड़ी बकाया राशि के लिए, बकायों के भुगतान नहीं किए जाने पर विद्युत संबंध का विच्छेदन करने में विफलता, जिन उपभोक्ताओं का विद्युत विच्छेदन किया गया उनसे बकाये की वसूली में विफलता इत्यादि मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। अनुवर्ती कंडिकाओं में प्रभावहीन राजस्व संग्रहण प्रणाली के लिए जिम्मेदार कारकों का विवेचन किया गया हैः

बकाये की वसूली

6.2.29 1993 के टैरिफ आदेश की धारा 15.4 (ड) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के अनुसार भुगतान में चूक करने वाले उपभोक्ताओं को भुगतान की नियत तिथि से 15 दिनों का नोटिस दिया जाना है और अगर नोटिस की अवधि के दौरान भुगतान नहीं किया जाता है तो विद्युत विच्छेदन करना है ताकि आगे बकायों में वृद्धि न हो तथा परिषद् को कानूनी कार्रवाई करके बकायों को वसूलने का अधिकार है। परन्तु अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने मे परिषद् विफल रहा फलस्वरूप बकायों में भारी वृद्धि हुई।

उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए आपूर्त्ति अंचलों के अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित पाया गयाः

कुल 12,485 एल टी उपभोक्ताओं के ममालों में बकाया 10,000 रूपये से उपर था, उनके बकाये को प्रतिभूति जमा से अधिक होने दिया गया और संचित बकाया 223.90 करोड़ रूपये था

चालू विद्युत संबंधों के बकायों में भारी वृद्धि

6.2.30 जून 2007 में यह देखा गया कि चार नमूना जाँच किये गये आपूर्त्ति अंचलों[21] के 12,485 एल टी विद्युत संबंधों (जिनका बकाया 10,000 रूपये और अधिक था) का 31 मार्च 2007 को बकाया राशि 223.90 करोड़ रूपये होने के बावजूद विद्युत विच्छेदन नहीं किया गया। वर्ष-वार विश्लेषण नहीं किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर बकाया राशि को तीन महीनों से कम, तीन से छह महीने, छह से बारह महीने और एक वर्ष से अधिक पुराने मामले में वर्गीकृत किया गया। अंचल वार बकायों का वर्ष-वार विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया हैः

आपूर्ति अंचल का नाम	तीन महीने से कम		3-6 महीने		6-12 महीने		एक वर्ष से ज्यादा		कुल	
	उपभोकताओं की सख्या	राशि (करोड़ में	उपभोकताओं की सख्या	राशि (करोड़ में)	उपभोकताओं की सख्या	राशि (करोड़ में)	उपभोकताओं की सख्या	राशि (करोड़ में)	उपभोकताओं की सख्या	राशि (करोड़ में)
धनबाद	284	3.07	28	4.99	8	0.86	1,488	54.23	1,808	63.15
हजारीबाग	227	3.50	145	1.52	240	3.18	3,976	51.53	4,588	59.73
जमशेदपुर	116	12.57	44	1.01	85	2.14	1,910	21.03	2,155	36.75
राँची	630	19.45	415	3.59	559	2.93	2,330	38.30	3,934	64.27
कुल	**1,257**	**38.59**	**632**	**11.11**	**892**	**9.11**	**9,704**	**165.09**	**12,485**	**223.90**

(स्रोत- आंकडे अंचलों द्वारा उपलब्ध कराए गए)

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि,

[21] धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर तथा राँची ।

- कुल 12,485 उपभोक्ताओं में से 78 प्रतिशत के पास बकाया राशि एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित थी और लंबित राशि कुल बकायों का 74 प्रतिशत (165.09 करोड़ रूपये) थी।
- केवल 1,257 उपभोक्ताओं पर बकाया तीन महीनों से कम समय से लम्बित था।
- सभी मामलों में बकाया राशि उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रतिभूति जमा से काफी अधिक थी।

वसूली नीलामवाद के द्वारा बकाये का उद्ग्रहण

- **6.2.31** वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान तीन नमूना जाँच किए गए आपूर्ति अंचलों से संबंधित बकायों की वसूली के लिए वसूली नीलामवाद निर्गत करने और उसके विरूद्ध वसूली की स्थिति नीचे की तालिका में दी गई है:

(राशि लाख रूपये में)

संख्या	विवरण	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		व.नी. की संख्या	राशि	व.नी. की सख्या	राशि	व.नी. की संख्या	राशि	व.नी. की संख्या	राशि	व.नी. की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में आदि शेष	2,269	1,197.91	2,260	1,556.98	2,683	1,727.50	3,382	2,859.24	4,664	3,249.30
2	निर्गत किये गये व. नी	670	505.27	530	192.95	792	1,146.95	1,385	404.94	1,478	483.96
3	कुल वसूलनीय (1+2)	2,939	1,703.18	2,790	1,749.93	3,475	2,874.45	4,767	3,264.18	6,142	3,733.26
4	वसूली	679	146.20	107	22.43	93	15.21	103	14.88	27	2.91
5	शेष (3-4)	2,260	1,556.98	2,683	1,727.50	3,382	2,859.24	4,664	3,249.30	6,115	3,730.35
6	व. नी की राशि पर वसूली की प्रतिशत (4/3×100)	-	8.58	-	1.28	-	0.53	-	0.46	-	0.08

(स्रोत- आंकडे अंचलों द्वारा उपलब्ध कराए गए)

उपर्युक्त विवरण दर्शाता है कि परिषद् द्वारा बकायों की वसूली के लिए ली गई कार्रवाई निम्नलिखित के कारण प्रभावी नहीं थी:

- प्रत्येक वर्ष दायर की गई वसूली नीलामवाद की संख्या 2002-03 में 670 से 2006-07 में 1,478 तक बढ़ गई पर मामलों के निपटारे की संख्या 2002-03 में 679 से घटकर 2006-07 में 27 तक रह गई।
- 39.32 करोड़ रूपये के कुल वसूलनीय राजस्व के विरूद्ध सिर्फ 2.02 करोड़ रूपये की राशि वसूली गयी जो कुल वसूलनीय राशि का 5.14 प्रतिशत था। राजस्व की वसूली में अत्यन्त कमी का मुख्य कारण मामलों का अपर्याप्त निष्पादन था।

- वर्ष 2002-03 में 17.03 करोड़ रूपये से 2005-06 में 37.33 करोड़ रूपये की वसूलनीय बकाये के विरूद्ध 2002-03 में 8.58 प्रतिशत से 2006-07 में 0.08 प्रतिशत की वसूली नियमित अवनति प्रवृत्ति को दर्शाता है।

- समय से वसूली नीलामवाद दायर नहीं करने के कारण जिन उपभोक्ताओं का विद्युत आपूर्त्ति विच्छेद किया गया है, उनके लम्बित बकाये को कालातीत होने दिया गया जैसा की अनुवर्ती कंडिकाओं में परिचर्चा की गई है।

कुल 46,741 उपभोक्ताओं पर समय पर कानूनी कारवाई आरम्भ करने में विफलता के कारण 95.99 करोड़ रूपये का राजस्व कालातीत हो गया

कालातीत मामले

6.2.32 परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अनुसार तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात विक्रय मूल्य की वसूली के लिए किसी भी याचिका को अस्वीकृत किया जायेगा। पुनः विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) के अनुसार उपभोक्ता पर कोई भी बकाया राशि बकाया होने की तिथि से दो वर्षो के पश्चात वसूलनीय नहीं है जब तक की बकाये की उस राशि को वसूलनीय दर्शाया गया हो और विद्युत बकाये का भुगतान नहीं करने पर विद्युत संबंध विच्छेदित नही किया गया हो। बकायों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण जिन उपभोक्ताओं का विद्युत विच्छेदन किया गया है बकाये की वसूली के लिए तत्परता से वसूली नीलामवाद दायर करने की आवश्यकता है। अगर भुगतान तिथि से तीन वर्षो के अन्दर वसूली नीलामवाद दायर नहीं किया जाता है तो बकाया कालातीत हो जाता है।

यह देखा गया कि परिषद् द्वारा विद्युत विच्छेद किए जाने के बावजूद भी विच्छेदन की तिथि से तीन वर्षो की परिसीमन अवधि के दौरान कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, मार्च 2004 से मार्च 2007 तक 46,741 उपभोक्ताओं का 95.99 करोड़ रूपये (2004-05 और 2005-06 वर्ष के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में चर्चा की गई 20.84 करोड़ रूपये के कालातीत बकाये को छोड़कर) बकाया राशि अवसूलनीय हो गई जैसा कि ***परिशिष्ट-6.9*** में ब्यौरा है। बी.एस.ई.बी. द्वारा 1963 में निर्गत निर्देश के अनुसार ऐसे मामलों में बकायों के कालातीत होने पर संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाना है तथा दोषी अधिकारी से कालातीत बकाये की राशि वसूली जा सकती है। तथापि दोषी अधिकारियों/पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई (नवम्बर 2007)।

छापामारी दलों का निष्पादन

6.2.33 विद्युत की चोरी/हानि को कम करने के लिए और परिषद् को इससे होने वाली भारी वित्तीय क्षति से बचाने के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163 में अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करने और उपकरणों का निरीक्षण और परीक्षण करने का अधिकार उल्लिखित है। इसके तहत, परिषद ने मुख्यालय में और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में एक-एक छापामारी दल का गठन किया। परिषद् के प्रत्येक उर्जा क्षेत्रों में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता, विद्युत चोरी निरोधक (ए.पा.टी.) छापामारी करने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान नमूना जाँच किए गये तीन[22] आपूर्त्ति अंचलों में छापामारी दल द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर का निरीक्षण के साथ प्रस्तावित राजस्व निर्धारण एवं उनके विरूद्ध की गई वसूली की स्थिति नीचे की तालिका में दी जा रही है:

क्रम संख्या	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07
1	कुल उपभोक्ता	2,19,900	3,72,397	4,15,997
2	छापामारी दल द्वारा निरीक्षण किए गये परिसरों की संख्या	534	1,082	2,785
3	कुल उपभोक्ताओं के संदर्भ में निरीक्षण किए गए उपभोक्ताओं के परिसरों की प्रतिशतता	0.24	0.29	0.67
4	छापामारी दल द्वारा प्रस्तावित राजस्व निर्धारण राशि (लाख रूपये में)	34.70	940.79	456.02
5	छापामारी स्थान पर वसूली गई राशि (लाख रूपये में)	-	20.83	23.96
6	निर्धारित राशि से वसूली गई राशि की प्रतिशतता	-	2.21	5.25

(स्रोत- आंकड़े अंचलों द्वारा उपलब्ध कराए गए)

यह देखा गया कि:

- छापामारी के लिए अवधि और निरीक्षण किये जाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या के लिए परिषद् द्वारा कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था।
- निरीक्षित किए गए उपभोक्ताओं के परिसरों की संख्या कुल उपभाक्ताओं की संख्या का एक प्रतिशत से भी कम थी।
- परिषद् द्वारा कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं उठाए जाने के कारण वसूली गई राशि अपर्याप्त थी।

विद्युत संबंध विच्छेदित/अनधिकृत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की चोरी

6.2.34 राँची और जमशेदपुर आपूर्त्ति अंचलों द्वारा संधारित मीटर निगरानी प्रतिवेदनों की नमूना जाँच से पता चला कि बड़ी संख्या में विद्युत विच्छेदित (एल.डी.) उपभोक्ता, आपूर्त्ति प्रणाली से विद्युत का इस्तेमाल कर रहे थे। उपभोक्ताओं का विवरण, इस्तेमाल की जा रही विद्युत का प्रकार इत्यादि को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

आपूर्ति अंचल का नाम	अवधि	इस्तेमाल की जा रही विद्युत का प्रकार	उपभोक्ताओं की संख्या	दण्डस्वरूप प्रभारित की जाने वाली राशि (लाख रूपये में)
जमशेदपुर	नवम्बर 2002 से अक्टूबर 2006	चालू मीटर वाले एल डी	14,928	1,986.55
	जनवरी से मार्च 2007	चालू मीटर वाले एल डी	1,196	56.24
		हुकिंग	2,036	79.83
राँची	अप्रैल 2004 से मार्च 2005	चालू मीटर वाले एल डी	21,762	645.19

[22] धनबाद, हजारीबाग तथा राँची

	जून 2004 से दिसम्बर 2006	हुकिंग	4,129	36.03
	जनवरी से मार्च 2007	हुकिंग	487	0.21
		एल डी पर चालू	439	10.53
कुल			**44,977**	**2,814.58**

(स्रोत- बाह्य एजेंसी द्वारा समर्पित अंचलों के मीटर निगरानी प्रतिवेदन)

एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किये गये निगरानी प्रतिवेदन को महत्व नहीं दिये जाने के फलस्वरूप 44,977 संबंध विच्छेदित उपभोक्ताओं पर 28.15 करोड़ रूपये दण्ड स्वरूप प्रभारित नही किया गया

विद्युत विच्छेदित उपभोक्ताओं के हुकिंग एवं चालू मीटर की जानकारी होने के बावजूद परिषद् द्वारा निगरानी प्रतिवेदन का उचित संज्ञान नहीं लिया गया तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के आलोक में प्रतिवेदन पर कदम नहीं उठाया जिसके अंतर्गत घरेलू एवं कृषि सेवाओं के मामले में लागू टैरिफ का डेढ़ गुना दर पर तीन महीनों एवं अन्य सेवाओं के लिए छह महीनों के लिए राजस्व निर्धारित करने का प्रावधान है। परिषद् द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण 28.15 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई।

राजस्व का लेखाकरण

6.2.35 वसूले गये राजस्व का लेखांकन अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण है चूँकि इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वसूले गये राजस्व को परिषद् के एवं विभिन्न बैंकों के लेखाओं में सही तरीके और तत्परता से लेखापित किया गया है।

राजस्व संग्रहण तथा इनका लेखाकरण एवं बैंकों में प्रेषण पर उपयुक्त नियंत्रण के लिए परिषद् ने प्रत्येक दिन राजस्व संग्रहण एवं अगले दिन बैंको में जमा करना निर्धारित किया है। अवर प्रमण्डलों द्वारा बैंको में जमा राशि को परिषद् के मुख्यालय में संधारित संग्रह खातों में स्थानांतरित किया जाना है।

राजस्व के लेखाकरण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के परिणामों को नीचे विवेचित किया गया है:

निधियों के स्थानांतरण में विलंब

संग्रहण बैंक से मुख्यालय खाते में निधि का विलम्ब से स्थानान्तरण के फलस्वरूप 1.31 करोड़ रूपये ब्याज की हानि हुई

6.2.36 बैंको के साथ कार्यप्रणाली व्यवस्था के अनुसार अवर प्रमण्डलों के खातों में जमा शेष को दैनिक आधार पर मुख्यालय में संधारित खातों में स्थानांतरित किया जाना है। जून 2007 में यह देखा गया कि 2002-03 से 2006-07 के दौरान 478.57 करोड़ रूपये जमा किये गये राजस्व को संबंधित बैंकों की शाखाओं द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यालय के बैंक खातों में प्रेषित नहीं किया गया था। प्रेषण में विलम्ब एक से 116 दिनों के बीच था। निधियों के स्थानांतरण में विलम्ब को कम करने के लिए परिषद् द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 2002-03 से 2006-07 के दौरान विलम्ब से राशि स्थानांतरण के कारण 13 प्रतिशत[23] प्रति वर्ष की दर से 1.31 करोड़ रूपये ब्याज की हानि हुई।

जमा किये गए चेकों को खाते में नहीं लिया जाना

जमा किये गये चेकों को खाते में नहीं लिये जाने के कारण 12.97 लाख रूपये अवरूद्ध रहने के अलावा 5.06 लाख रूपये ब्याज की हानि हुई

6.2.37 मासिक बैंक समाशोधन विवरणी तैयार कर अवर प्रमण्डलों द्वारा जमा किए गए वैसे चेक का विवरण तैयार किया जाता है जिन्हे बैंक द्वारा खाते में नही लिया गया है। जून 2007 में यह देखा गया कि तीन आपूर्त्ति अवर प्रमण्डलों द्वारा 1998 से 2004 की अवधि में जमा किए गए 12.97 लाख रूपये के 87 चेकों को बैंक द्वारा जून 2007 तक

[23] जिस दर पर परिषद को राज्य सरकार से ऋण प्राप्त होता है

खातों में नहीं लिया गया था। परिषद् द्वारा मामले को समय पर नहीं देखने के कारण काफी पहले बैंकों में जमा किए गए चेकों को खातें में नहीं लिया गया था। इस कारण 12.97 लाख रूपये की वसूली संदेहास्पद थी। आगे मार्च 2007 तक तीन साल के लिए परिषद को इस राशि पर 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 5.06 लाख रूपये ब्याज की हानि हुई।

ब्याज की हानि

संग्रहण बैंक द्वारा मुख्यालय में संधारित परिषद के खातों में जमा शेष नहीं लिये जाने से 33.04 करोड़ रूपये की निधि अवरूद्ध रही फलस्वरूप 12.26 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि हुई

6.2.38 जून 2007 में यह देखा गया कि जुलाई 2001 और मार्च 2006 के बीच अवर प्रमण्डलों के संग्रह खातों से मुख्यालय के खातों में स्थानांतरित की गई 33.04 करोड़ रूपये की राशि को राँची में मुख्य शाखा द्वारा मुख्यालय के खातों में नहीं लिया गया। खातों में नहीं ली गई राशियों के समाधान तक बैंक के उच्च अधिकारियों के समक्ष मामले को उठाने में परिषद् की विफलता के परिणामस्वरूप इन राशियों पर 13 प्रतिशत की दर से 12.26 करोड़ रूपये ब्याज की हानि के अलावा 33.04 करोड़ रूपये की निधि अवरूद्ध रही जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रूपये में)

बैंक	इकाई की संख्या	अवधि	अवर प्रमण्डल	राशि	ब्याज
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, लालपुर, राँची	70	2001-02 से 2006-07	टुपुदाना	27.09	9.76
इलाहाबाद बैंक, हटिया राँची	10	2001-02 से 2005-06	टुपुदाना	4.43	2.09
यूनियन बैक आफ इण्डिया, आर के मिशन	7	2002-03 से 2006-07	टुपुदाना	0.09	0.03
इण्डियन ओवरसीज बैंक, गिरिडीह, यूको बैंक, बेरमो एवं एस बी आइ, तिसरी	13	2002-03 से 2005-06	गिरिडीह, बेरमो एवं तिसरी	1.43	0.38
कुल	**100**			**33.04**	**12.26**

(स्रोत- परिषद की बैंक पत्राचार संचिका)

उपर्युक्त ब्यौरे को देखने से स्पष्ट होता है कि 2001-02 से ही 33.04 करोड़ रूपये की भारी राशि को नहीं लिया गया जिसमें से सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, लालपुर द्वारा ही जून 2007 तक 27.09 करोड़ रूपये की राशि नहीं ली गई थी। चूँकि यह काफी पहले से जारी है और परिषद् द्वारा राशि को क्रेडिट करवाने में कोई प्रभावी कदम उठाये जाने में विफलता, परिषद् की अपर्याप्त/कमजोर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की ओर इशारा करता है।

आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण

6.2.39 आंतरिक नियंत्रण, प्रक्रिया की दक्षता के लिए युक्तिसंगत आश्वासन मुहैया कराने, वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता और लागू कानूनों एवं अध्यादेशों का अनुपालन, के लिए बनाई गई प्रक्रिया है। एक सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा अध्यादेश, नियमावलियों एव नियम पुस्तकों का कड़ाई से पालन, गलतियों एवं अनियमितताओं के जोखिम को कम करता है। परिषद् में लागू प्रणाली के मूल्यांकन से इसमें निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीः

- हानियों को घटाने के लिए नियंत्रण प्रणाली को कार्यान्वित नहीं करने के कारण ए.टी. एण्ड सी हानियों को कम करने में, समय पर विपत्र निर्गत करने और जे.एस.ई.आर.सी. की आपूर्त्ति नियमावली के अनुसार समय पर विद्युत संबंध बहाल करने में परिषद् विफल रहा।

- परिषद् द्वारा, बकाये के भुगतान में चूक होने पर, प्रणाली को विद्युत संबंधों को विच्छेदित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया।

- बकाये को कम करने के लिए समय पर बकाये की वसूली के लिए प्रणाली को कार्यान्वित करने में परिषद् विफल रहा।

- बैंक से लेन देन को समय पर बैंक विवरण से समाशोधित नहीं किया जा रहा था।

आंतरिक लेखापरीक्षा

6.2.40 आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के उचित कार्यान्वयन के साथ उसकी दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए तथा गलतियों एवं धोखाधडी की पहचान के लिए बनाई गई प्रणाली है। इसे वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जॉचना और मूल्यांकन करना होता है। यह देखा गया किः

- अपने अस्तित्व के छह वर्षो के पश्चात भी परिषद् द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के लिए कर्मचारियों का स्वीकृत बल निर्धारित नहीं किया गया था। परिषद् द्वारा इकाइयों की आंतरिंक लेखापरीक्षा के लिए सारणी/लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए तदर्थ आधार पर कार्मिक लगाये गये थे तथा उनके द्वारा अनेक इकाइयों की लेखापरीक्षा नियमित रूप से संचालित नहीं हो रही थी।

- राजस्व एवं व्यय लेखापरीक्षा के लिए, 2001-02 और 2002-03 के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के लिए 17 सनदी लेखाकारों को 2005-06 में बाह्यकृत किया गया था। सभी लेखाकारों ने जून/अक्टूबर 2007 तक अपने प्रतिवेदन सदस्य (वित्त)/अध्यक्ष को सौप दिये थे। इन प्रतिवेदनों में 2001-02 की अवधि से संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर इशारा किए जाने के बावजूद सौपे गये प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उपसंहार

- **विपत्रीकरण एवं संग्रहण प्रक्रियाएँ तथा निगरानी अपूर्ण थे क्योंकि परिषद् ए.टी. एण्ड सी. हानियों को कम नहीं कर पाया जिसके मुख्य कारक रहे, मीटर नहीं लगाने एवं विद्युत चोरी रोकने में विफलता, समय पर विद्युत संबंध बहाल करने, मीटर पठन की जॉच सुनिश्चित करने, माँग प्रभारित करने तथा समय पर विद्युत विपत्र निर्गत करने में विफलता। राजस्व संग्रहण प्रभावी नहीं था चूँकि प्रत्येक वर्ष के अंत में लंबित बकाया बढ़ रहा था। त्वरित कार्रवाई करने में विफलता के कारण लंबित बकाये कालातीत हो गये।**

अनुशंसाएँ

परिषद् को चाहिए कि :

- **चरणबद्ध तरीके से ए.टी. एण्ड सी. हानियाँ कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाये;**
- **समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार सभी विद्युत सेवाओं में मीटर लगायें;**
- **मीटर पठन की सत्यता तथा विपत्रों का त्वरित वितरण सुनिश्चित करे;**
- **बकाये की त्वरित वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई सहित वसूली तन्त्र में सुधार करे;**
- **बैंकों द्वारा राजस्व का त्वरित क्रेडीट सुनिश्चित करे; तथा**
- **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करे।**

लेखापरीक्षा निष्कर्ष परिषद/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2007); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)।

6.3 लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनी/निगम के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच मे पाये गये महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनी

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

6.3.1 राजस्व की हानि

आरक्षित मूल्य की गलत संगणना के कारण केन्दू पत्ती की बिक्री पर 43.96 लाख रूपये के राजस्व की हानि।

अपने नियन्त्रण के क्षेत्र से केन्दू पत्ती एकत्रित करने के लिए कम्पनी ने निविदा आमंत्रित की (अप्रैल/मई 2002)। बिहार सरकार द्वारा जारी वन पुस्तिका के प्रावधान के अनुसार पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत बिक्री मूल्य के आधार पर आरक्षित मूल्य सुनिश्चित किया जाना है और जब उद्धृत दर आरक्षित मूल्य के 75 प्रतिशत से कम नहीं हो तो कम्पनी को उस प्रस्ताव को स्वीकार करना है।

यह देखा गया (नवम्बर 2006) कि यद्यपि सभी तीन वर्षों 1999, 2000 और 2001 (कुछ मामले में दो वर्षो के लिए दूसरे में केवल एक वर्ष के मूल्य उपलब्ध थे) के लिए विक्रय मूल्य उपलब्ध नहीं था, पर कुछ लाँटों (ढेरों) के संबंध में उस अवधि के लिए उपलब्ध विक्रय मूल्य के कुल योग को तीन से विभाजित करते हुए 2002 में आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया। निर्धारित किये गये आरक्षित मूल्य को आधार मानकर उन लाँटो (ढेरो) को बेचा गया। इस कारण आरक्षित मूल्य का निर्धारण वास्तविक स्तर[24] से बहुत कम स्तर पर हुआ था।

इस प्रकार आरक्षित मूल्य की गलत संगणना के कारण लाँटों (ढेरों) की बिक्री के सम्बन्ध में कम्पनी को 43.96 लाख रूपये राजस्व की हानि हुई जैसा कि ***परिशिष्ट 6.10*** में व्यौरा है।

मामले को सरकार/प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)।

सांविधिक निगम

झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद

6.3.2 परिहार्य व्यय

परिषद द्वारा अविवेक पूर्ण आदेश निर्गत करने, दोषी आपूर्त्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध समय पर कार्यवाही नहीं करने एवं बाद में कनडक्टर की प्राप्ति उच्च दर पर करने के फलस्वरूप 1.49 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत 2003-04 के दौरान 2,000 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद (परिषद) ने मार्च 2003 में 25,000 कि.मी.ए.ए.ए.[25] वीसल कनडक्टर के क्रय के लिए एक अल्प निविदा सूचना जारी की। 28 निविदादाताओं में से 11 निविदादाताओं का टेक्नों कमर्शियल निविदा (जुलाई 2003), तकनीकी रूप से उपयुक्त पायी गई। इन निविदादाताओं की मूल्य निविदा खोली गयी (अगस्त 2003) और गुप्ता केबल लिमिटेड, भुवनेश्वर का स्थिर स्थल लागत 11,857 रूपये प्रति कि.मी. पर सबसे कम पाया गया लेकिन फर्म केवल 700 कि.मी.

[24] वास्तविक मूल्य विगत एक, दो एवं तीन वर्षों के कुल विक्रय मूल्य को वर्षों की संख्यायें जिनका विक्रय मूल्य उपलब्ध था, से भाग देने पर प्राप्त होता है।

[25] ऑल अल्युमिनियम अलॉय

प्रति माह आपूर्ति करने को राजी था। बाद में (अगस्त 2003), छः निविदादाताओं ने भी एल-1 दर पर माल की आपूर्ति करने की अपनी इच्छा व्यक्त की।

मार्च 2003 तक के भंडार का संज्ञान लेते हुए 23,840 कि.मी. कन्डक्टर की वास्तविक आवश्यकता आकलित की गयी (अगस्त 2003)। तीन माह के अन्दर पूर्ण आपूर्ति की शर्त पर सात निविदादाताओं को 17,550 कि.मी. कन्डकटर की आपूर्ति हेतु क्रय आदेश निर्गत करने का निर्णय केन्द्रीय क्रय समिति (सी.पी.सी.) द्वारा अगस्त 2003 में लिया गया। आगे सी.पी.सी. ने निर्णाय लिया कि राज्य के दो लघु उद्योग इकाइयों, जिनका प्रस्ताव पर, बी.आई.एस. लाइसेन्स जमा नहीं करने के कारण टेकनों कमर्शियल निविदा खोलने के समय विचार नहीं किया गया था, उनको एक माह के अन्दर बी. आई. एस. लाइसेन्स जमा करने का अनुरोध किया जाए। उन दो फार्मों के द्वारा बी.आई.एस. लाइसेन्स जमा नहीं करने की स्थिति में, जल्दी माल की आपूर्ति करने वाली फर्म से बची हुई मात्रा का क्रय किया जायगा। चुँकि एक निविदादाता, सार्थक इन्टरप्राइजेज, इलाहाबाद 5,400 कि.मी. कन्डकटर की आपूर्ति करने के लिए अनुबन्ध निस्तारित करने में असफल रहा, बोर्ड ने माल की आपूर्ति के लिए तीन माह की अवधि जो आदेश निर्गत करने के 30 दिन बाद शुरू होता था, (फरवरी 2004 तक) के शर्त्त पर केवल छः निविदादाताओं को 12,150 कि0 मी0 कन्डक्टर आपूर्ति के लिए अक्टूबर 2003 में क्रय आदेश निर्गत किया। उपर्युक्त आदेश के आलोक मई 2004 तक में केवल 8,288 कि.मी. कन्डक्टर की आपूर्ति की गयी थी और केवल तीन निविदादाताओं द्वारा ही आदेशित मात्रा की पूरी आपूर्ति की जा सकी।

पुनः जून 2004 में (8,288 कि.मी. कन्डक्टर की आपूर्ति के केवल एक माह बाद), बोर्ड ने समान वाले विशिष्टता 25,000 कि.मी. कन्डक्टर की आपूर्ति के लिए एक नयी निविदा आमन्त्रित की और अन्ततः 13,213 रूपये प्रति कि.मी. स्थल लागत पर 11,000 कि. मी. के लिए क्रय आदेश निर्गत किया गया (दिसम्बर 2004 और जनवरी 2005)। उपर्युक्त क्रय आदेश के विरूद्ध 10,959 कि.मी. कन्डक्टर फरवरी 2005 तक आपूर्ति की गई थी।

इस आलोक में, लेखा परीक्षा में निम्नलिखित देखा गया (फरवरी 2007);

- दो अल्प निविदाओं (मई 2003 और जून 2004) के माध्यम से 50,000 कि.मी. कन्डक्टर की आपूर्ति के विरूद्ध क्रमशः केवल 12,150 कि.मी. तथा 11,000 कि. मी. के लिए सी.पी.सी. ने आदेश निर्गत किया। यह निर्दिष्ट करता था कि. आवश्यकता का निर्धारण वास्ताविकता के आधार पर नहीं किया गया था।

- अल्प निविदा पर संविदा प्रदान करने का उदेश्य निष्फल हो गया चूँकि प्राक्कलित अपूर्त्तियाँ प्राप्त नहीं हुई। अन्ततः बाकी मात्रा को उँची दर पर क्रय किया गया। यहाँ तक कि आदेशों का विखंडन भी पूर्ण आपूर्ति में सहायक नहीं हो पाया था।

- पहली अल्प सूचना निविदा के विरूद्ध दो एस.एस.आई. इकाइयों ने पूरे कागजात जमा नहीं किये थे। संहिता प्रावधान के अनुसार उनका प्रस्ताव रद्ध करने के बजाय, उनको कागजात जमा करने के लिए एक माह का समय दिया गया था। हलांकि एस एस आई इकाइयों ने इसे जमा नहीं किया। तथापि इन फर्मों के लिए तय मात्रा का आपूर्त्ति आदेश छः सफल निविदादाताओं को नहीं दिया गया।

- हाँलाकि सार्थक इन्टरफ्राइजेज निर्धारित समय के अन्दर अनुबन्ध निस्तारित करने में असफल रहा, फिर भी परिषद नें 5,400 कि.मी. कन्डक्टर के लिए दूसरे छः निविदादाताओं को आपूर्ति आदेश नहीं दिया।

- निविदा शर्त्तो के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को टेकनो कार्मर्शियल भाग में निविदित मात्रा का 25 प्रतिशत (6,250 कि.मी.) से कम का प्रस्ताव नहीं करने को कहा गया था। तथापि सात पार्टियों के मध्य न्युनतम 600 कि.मी. (निविदित मात्रा का 2.4 प्रतिशत) के लिए विखंडित आदेश निर्गत किया गया था। उन तीन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति को पूरा नहीं करना निर्दिष्ट करता था कि आपूर्तिकर्त्ताओं की तकनीकी सामर्थ्य का द्वारा सही मूल्यांकन सी.पी.सी.नहीं किया गया था। जबकि 10,000 कि.मी. की आपूर्त्ति करने को तैयार आपूर्तिकर्त्ता को केवल 2100 कि.मी. का आदेश दिया गया था।

- तीन आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध, जिन्होंने एल-1 मूल्य पर आपूर्ति करने के लिए सहमति दी थी, कम आपूर्ति के लिए परिषद ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। चुँकी दोषी आपूर्तिकर्ता, एन.एस.आई.सी. से निबन्धित थे, उनको अर्नेष्ट राशि जमा करने से छूट थी। इसलिए उन आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध दोषपूर्ण आपूर्ति की स्थिति में परिषद के पास कार्रवाई का कोई स्रोत नहीं था।

- निविदा शर्त में अनुबन्धित अवधि के अन्दर आपूर्ति करने में असफल रहने पर परिषद के पास अनुबन्ध को रद्ध करने का अधिकार सुरक्षित था तथा दूसरे स्रोत से प्राप्ति के कम में हुई हानि/बर्बादी की वसूली का अधिकार था लेकिन इस शर्त को क्रय आदेश में सम्मिलित नहीं किया गया था। अत: बाद में माल की प्राप्ति में लगे अधिक लागत की वसूली का अवसर परिषद ने खो दिया।

- निविदा की शर्त्त के अनुसार आदेश के निर्गमन/स्वीकृति की तिथि से छः माह के अन्दर समान शर्त्तो पर, उसी आपूर्तिकर्ता को, परिषद पूर्व में आदेशित मात्रा के 20 प्रतिशत, का आदेश दे सकता था। चूँकि यह शर्त्त क्रय आदेश में सम्मिलित नहीं की गई, और परिषद को नयी अल्प निविदा आमन्त्रित करनी पड़ी थी। इस शर्त्त का उपयोग करते हुए परिषद 11,857 रूपये प्रति कि.मी. की दर पर 10,959 कि.मी. कन्डक्टर प्राप्त कर सकता था, जिसे तदनन्तर 13,213 रूपये प्रति कि.मी. की उच्च दर पर प्राप्त किया गया।

अतः अविवेकपूर्ण आदेशों को निर्गत करने, दोषी आपूर्त्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध समय पर कारवाई की कमी के साथ निविदा की सीमा/शर्त्तो का पालन नहीं किये जाने से 1.49[26] करोड़ रूपये का अधिक व्यय हुआ।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007); उनके उतर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)।

6.3.3 मूल्य विचरण दावा पर अधिक व्यय

[26] (13,213 - 11,857 रूपये) × 10,959 कि.मी.

मूल्य विचरण की गणना के लिए गलत आधार तिथि के अपनाने के फलस्वरूप आपूर्तिकर्त्ता को 60.68 लाख रूपये के अधिक दावा का भुगतान हुआ।

6.3.3.1 परिषद ने 25,000 कि.मी. ए.ए.ए. वीसल कन्डक्टर की आपूर्ति के लिए निविदा आमन्त्रित की (जून 2004) जिसे 12 जुलाई 2004 तक जमा करना था। निविदा औपचारिकता पूरा होने के बाद, निविदा के माह के पहले दिन को आधार तिथि मानते हुए अधिकतम ± 20 प्रतिशत मूल्य विचरण के साथ स्थल लागत 13,712 रूपये प्रति कि.मी. की दर से कुल 17,000 कि.मी. के लिए बोर्ड ने सोलह निविदादाताओं को आदेश निर्गत किया (दिसम्बर 2004 से जुलाई 2005)। उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध परिषद ने दिसम्बर 2004 से अगस्त 2005 तक 16,958 कि.मी. मात्रा प्राप्त की एवं 1.16 करोड रूपये मूल्य परिवर्तन दावा के रूप में स्वीकार किया।

लेखा परीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ किः

- निविदा की सीमा/शर्तो के अनुसार आधार तिथि के मूल्य पर यथा निविदा माह का पहलेदिन को प्रचलित मूख्य पर, मूल्य विचरण की अनुमति दी जानी थी। इसका मतलब निविदा खुलने वाले माह के पहले दिन (1 जुलाई 2004) को विद्यमान कच्चे माल का आधार मूल्य (सी.ए.सी.एम.ए., आई[27] द्वारा अधिसूचित) को मूल्य विचरण दावा की गणना के लिए अपनाया जाना था। निविदा की सीमा एवं शर्त्तों के विपरीत, परिषद ने 1 जून 2004 (यथा निविदा आमंत्रित करने वाले महीने का पहला दिन) को प्रचालित कच्चे माल के मूल्य के आधार पर मूल्य विचरण दावा स्वीकार किया।

- पावर ट्रान्सफर्मर क्रय के मामले में, मूल्य विचरण की अनुमति देते समय निविदा खुलने वाले माह का पहला दिन को आधार तिथि और निविदा खुलने के समय कच्चे माल का मूल मूल्य, जो आई.इ.ई.एम.ए.[28] द्वारा अधिसूचित किया गया, को आधार मान कर विचार किया गया था।

- यहाँ तक कि ए.ए.ए. कन्डक्टर के कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने अपना निविदा/मूल्य विचरण दावा, 1 जुलाई 2004 को आधार तिथि मान करपरिषद को प्रस्तुत किया था।

इस तरह मूल्य विचरण दावा के लिए सही आधार तिथि को अंगीकृत करने में परिषद की विफलता के फलस्वरूप कुछ मामलों में 55.38 लाख रूपये (जिसमें टैक्स एवं शुल्क सम्मिलित है) का अधिक मूल्य विचरण दावा की अनुज्ञा दी गयी जैसा कि ***परिशिष्ट-6.11*** में दिया गया है।

6.3.3.2 परिषद 1,000 कि.मी.ए.सी.एस.आर[29] डॉग कन्डक्टर की आपूर्ति के लिए भी निविदा अमान्त्रित की (जून 2004) जो 12 जुलाई 2004 तक प्रस्तुत किया जाना था और निविदा माह का पहला दिन को आधार तिथि मान कर, ± 20 प्रतिशत का अधिकतम मूल्य विचरण के साथ 44,057 रूपये प्रति कि.मी. स्थल लागत पर सात

[27] केबल एण्ड कण्डक्टर मैनुफक्चरर्स एसोशिएशन ऑफ इण्डिया

[28] इण्डियन इलेक्टीकल एण्ड इलेक्टनिक्स मैनुफक्चरर्स एसोशिएशन

[29] अल्युमिनियम कन्डक्टर स्टील रीइन्फस्द

आपूर्तिकर्त्ताओं को 1,200 कि.मी. आपूर्त्ति के लिए आदेश निर्गत किया (नवम्बर 2004 से अक्टूबर 2005) । परिषद को 1,199 कि.मी. सामग्री की प्राप्ति हुई और 621 कि. मी. सामग्री पर कुल 17.97 लाख रूपये मूल्य विचरण दावा का भुगतान करना पड़ा। लेखापरीक्षा संवीक्षा में इस मामले में भी उद्घटित हुआ कि 1 जुलाई 2004 (निविदा माह का पहला दिन) के बजाय 1 जून 2004 को आधार तिथि के रूप में अंगीकृत किया गया। इस कारण 5.30 लाख रूपये का अत्यधिक मूल्य विचरण दावा का भुगतान किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट-6.12*** में अभिसूचित है।

इस तरह मूल्य विचरण दावा के लिए गलत आधार तिथि को परिषद द्वारा अंगीकृत करने के फलस्वरूप 60.68 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला परिषद/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007); उनके उतर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)।

6.3.4 निधियों का अवरोधन

बिना किसी तत्काल आवश्यकता के वैगन टिपलर के प्रापण के परिणामस्वरूप 45.98 लाख रूपये के ब्याज की परिणामी हानि के साथ 1.18 करोड रूपये की निधियों का अवरोधन।

परिषद द्वारा, क्रय आदेश के तिथि से 12 महीनों की सुपुर्दगी अवधि के साथ वी.वी. नागर के लिए 1.15 करोड़ रूपये (95.00 लाख रूपये के साथ उत्पाद शुल्क और कर) की कुल लागत पर पतरातू ताप शक्ति प्रतिष्ठान के कोयला समार संयंत्र में वैगन टिपलर-2 के लिए आधुनिक इनहॉल बीटल चार्जर के सम्पूर्ण सेट की आपूर्ति के लिए इलकोन इंजिनियरिंग लिमिटेड, गुजरात के पक्ष मे क्रय आदेश निर्गत किया गया (अगस्त 2002) । भुगतान की शर्तों के अनुसार, समान राशि की बैंक गारंटी के उपस्थापन के विरूद्ध 10 प्रतिशत अग्रिम तथा प्रेषण दस्तावेजों के विरूद्ध सभी करों और शुल्को के साथ 90 प्रतिशत नियत था। तदन्तर गारंटी खंड के अनुसार सभी सामान, दोषपूर्ण अभिकल्प, त्रुटिपूर्ण कारीगरी, दोषपूर्ण सामग्रियों और असंतोषजनक सेवाओं के लिए, अधिष्ठापन की तिथि से 12 महीनों या प्रेषण की तिथि से 18 महीने, जो भी पहले हो की अवधि के लिए गारंटीयुक्त थे।

यह देखा गया (फरवरी 2007) कि उपस्कर की लागत का 10 प्रतिशत अग्रिम, 9.50 लाख रूपये की राशि का भुगतान परिषद द्वारा (अप्रैल 2003) में किया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति (जुलाई 2003) की गयी और शेष राशि, 1.05 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया (जून 2004)।

उपस्कर, राज्य परिवहन निगम के भंडार में पड़ा रहा (दिसम्बर 2004)। भण्डारण और विलम्ब शुल्क के रूप में 1.90 लाख रूपये और भाड़ा के रूप में 1.70 लाख रूपये के भुगतान के बाद उपस्कर को छुड़ाया गया (जनवरी 2005)। खुले में रहने के कारण केन्द्रीय भण्डार द्वारा जल्द उठाव के आग्रह के बावजूद उपस्कर प्राप्ति के ढाई वर्ष के उपरांत भी केन्द्रीय भण्डार में पड़े हुए हैं (अगस्त 2007)। अतः 1.18 करोड़ रूपये की लागत पर प्राप्त किया गया उपस्कर अभी तक संस्थापित नहीं हुआ है (अगस्त 2007)। इसके अलावे, प्रतिस्थापना/सुधार (उपस्कर खुले में पड़ा है) का कोई अवसर नहीं है

क्योंकि गारंटी अवधि इससे पहले ही दिसम्बर 2004 में (प्रेषण से 18 महीने) समाप्त हो चुकी थी।

महाप्रबंधक, पी.टी.पी.एस. ने कहा (मई 2007) कि 1978 में संस्थापित विद्यमान वैगन टीपलर नं0 2 के साथ इसका बीटल चार्जर, वर्ष 2001-02 के दौरान संचालन में लगातार कठिनाई दे रहा था, तो विद्यमान बीटल चार्जर के प्रतिस्थापन को अत्यावश्वक-अति आवश्यक समझा गया। अतः उपस्कर का प्रापण किया गया (जुलाई 2003)। इसके अतिरिक्त बताया कि बीटल चार्जर के प्रतिस्थापन के लिए बैगन टीपलर नं. 2 का बहुत समय के लिए पूर्णतः बंद किया जाना आवश्यक था और यथा किसी तकनीकी खराबी के कारण वैगन टीपलर नं. 3 सेवा में नहीं था और वैगन टीपलर नं. 2 को उसके स्थान पर उपयोग किया जा रहा था, परिषद मार्च 2007 तक वैगन टीपलर नं. 2 को बंद करने की स्थिति में नहीं था। चुँकी वैगन टीपलर न. 2 भी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहा था, टीपलर न. 2 को सम्पूर्णतः ठीक करने के लिए अन्य उपस्कर की आपूर्ति के लिए आदेश दिया गया (जून 2006)। बीटल चार्जर की प्रतिस्थापना और टीपलर नं. 2 का ठीक किया जाना एक साथ ही होना था।

उत्तर से सुनिश्चित होता है कि तत्काल आवश्यकता के बिना प्रापण किया गया था क्योंकि वैगन टीपलर नं. 2 पिछले पाँच वर्षो (अगस्त 2002 से) में बीटल चार्जर के प्रतिस्थापन के बिना ही कार्य कर रहा था। इसके कारण बोर्ड को 1.18 करोड़ रूपये की निधि का अवरोधन और 45.98[30] लाख रूपये के ब्याज की परिणामी हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2007); उनके उतर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)।

6.3.5 अविवेकपूर्ण प्राप्ति

डायफ्राम के अविवेकपूर्ण प्राप्ति के परिणामस्वरूप 29.61 लाख रूपये ब्याज की हानि

झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद (जे.एस.इ.बी.) के अधीन पतरातू ताप शक्ति प्रतिष्ठान (पी.टी.पी.एस.) द्वारा पोल्टवास्की टी पी एस पावर सर्विस लिमिटेड, नई दिल्ली को क्रय आदेश पारित के दिन से छह महीने की आपूर्ति अवधि के साथ इकाई नं. दो के क्षतिग्रस्त डायफ्रामों के प्रतिस्थापन के लिए, 40.20 लाख रूपये की कुल लागत पर तीन सेट डायफ्रामों की आपूर्त्ति के लिए आदेश दिया गया (जनवरी 2001)।

क्रय आदेश में, तदनुसार, सामग्री के त्रुटिपूर्ण विनिर्माण और अधिष्ठापन की तिथि से 12 महीने या आपूर्ति की तिथि से 18 महीने की अवधि, जो भी पहले हो के लिए असंतोषजनक सेवा के विरूद्ध गारंटी उपबंध प्रदत्त था। आपूर्त्तिकर्ता को दस्तावेजों के प्रेषण के समय निष्पादन गारंटी के रूप में आपूर्तित मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक गारंटी प्रस्तुत करना था और दस्तावेजों के प्रेषण के विरूद्ध परिषद द्वारा 100 प्रतिशत का भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उदघटित हुआ (फरवरी 2007) कि सामग्री की प्राप्ति अत्यावश्यक आधार पर किया गया। आपूर्त्तिकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति की गयी (अगस्त 2001)

[30] परिषद द्वारा प्राप्त सरकारी ऋणों पर लागू 13 प्रतिशत की दर पर ब्याज की गणना की गई है

और उसे भुगतान किया गया (अक्टूबर 2001)। जे.एस.इ.बी. द्वारा इकाई नं. दो के विद्यमान डायफ्रामों का उपयोग जारी रखा गया (जूलाई 2007)। इकाई का पूर्णतः ठीक करने का कार्य हुआ (जनवरी 2004) लेकिन, इस दौरान भी डायफ्रामों को प्रतिस्थापित नहीं किया गया और इकाई अपने पुराने डायफ्रामों के साथ ही संचालित थी (जुलाई 2007)। अगस्त 2001 में प्राप्त किये गये डायफ्राम भंडार में लगातार अनुपयोगित पड़े रहे (जुलाई 2007)। उपस्कर की गारंटी अवधि समाप्त हो गयी (फरवरी 2003) और सामग्री के निष्पादन की जाँच किये बगैर ही बैंक गारंटी विमुक्त कर दी गयी (जून 2003)।

अतः बिना तत्काल आवश्यकता के पुर्जों के अविवेकपूर्ण प्राप्ति के परिणामस्वरूप 29.61 लाख[31] रूपये के ब्याज की परिणामी हानि के साथ 40.20 लाख रूपये की निधि का परिहार्य अवरोधन हुआ।

मामला प्रबंधन/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2007); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)।

6.3.6 अधिभार का परिहार्य भुगतान

अनुबंध के विलम्बित निस्तारण के परिणामस्वरूप 13.19 लाख रूपये के अधिभार का परिहार्य भुगतान।

झारखंड राज्य विद्युत परिषद, रेलवे के कोयला लदान स्टेशनों पर पूर्वप्रतित रेल रसीदों के आधार पर जमा पत्र सह चेको (सी.एन.सी.सी.) के जरिये कोयला भाड़ा के भुगतान द्वारा 10 प्रतिशत अधिभार दुर की सहायता का लाभ प्राप्त कर रहा था। सी एन सी सी के अलावा अन्य प्रकार से किये गये भुगतान के मामलें में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ (फरवरी 2007) कि पूर्व रेलवे (इ.आर.) द्वारा पतरातू ताप शक्ति प्रतिष्ठान (पी.टी.पी.एस.) को सूचित किया गया (सितम्बर 2002) कि पूर्व मध्य रेलवे (इ.सी.आर.) के अस्तित्व में आने के बाद मार्च 2003 के आगे की अवधि के लिए सी.एन.सी.सी. सुविधा को जारी रखने के लिए एक नया अनुबंध का क्रियान्वयन आवश्यक था। सी.एन.सी.सी. सुविधा अप्रैल 2003 तक जारी रही उसके बाद बंद कर दी गयी और बाद में इ.सी.आर. द्वारा सभी बकाये का समाशोधन के बाद नये अनुबंध के क्रियान्वित किये जाने के निर्देशों के साथ 15 मई 2003 तक विस्तार दिया गया। पी.टी.पी.एस. ने इ.सी.आर. को सूचित किया (मई 2003) कि शीर्ष बोर्ड की अनुमति प्राप्ति के बाद लम्बित बकायों का भुगतान किया जायेगा और सी एन.सी.सी. सुविधा का जून 2003 तक विस्तार देने का अनुरोध किया। लेकिन इ सी आर ने सूचित किया (जुलाई 2003) कि पर्वूवर्ती सी.एन.सा.सी. 16 मई 2003 को समाप्त हो गया और सभी औपचारिकताओं और नये अनुबंध के बाद ही सी.एन.सी.सी. सुविधा को आगे उपलब्ध कराया जायेगा। पी.टी.पी.एस. द्वारा जुलाई 2003 के अन्तिम सप्ताह में प्रतिभूति जमा प्रस्तुत किया गया और अगस्त 2003 के प्रथम सप्ताह में अनुबंध निस्तारित किया गया। इसी बीच 16 मई 2003 से अगस्त 2003 के दौरान, 68 रेलवे रसीद (एक्स. के.डा.डी.एच.एस.डी.जी.) और एक रेलवे रसीद (एक्स् के.डी.एस.डी. जी.) भाड़ा

[31] 40.20 लाख रूपये × 13 प्रतिशत × 68 महीने

भुगतान आधार पर अन्तर्गत निर्गत किया गया जिसमें 13.19 लाख रूपये अधिभार भुगतान सम्मिलित था। परिणामस्वरूप अनुबंध के विलम्बित निस्तारण के कारण, परिषद को 13.19 लाख रूपये के अधिभार की परिहार्य हानि सहन करनी पड़ी जिसके लिए विलंब से अनुबंध को निस्तारण करने के लिए जिम्मेवार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मामला प्रबंधन/सरकार को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2007)।

राँची,
दिनांक

(मुकेश पी सिंह)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा),झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
दिनांक

(बिनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक